



अखिल भारत
हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 40 अंक-46

कल्पादि सम्वत् 1972949116

सम्पादक

मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी 2017 तक

फाल्गुन कृष्ण एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वितीया सम्वत् 2073 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये

पृष्ठ संख्या 12

जरूरत, बड़े

सुधार....

पृष्ठ- 3

सावरकर

हम दसों...

पृष्ठ- 4

वीर सावरकर

का.....

पृष्ठ- 5

वन्दे मातरम्

एण्ड..

पृष्ठ- 8

तकनीकी

सुरक्षा पर...

पृष्ठ- 12

शुभकामनाएं

महान स्वतंत्रता सेनानी,
क्रांतिकारियों के प्रेरणास्रोत पूर्व
हिन्दू महासभा अध्यक्ष स्वातंत्र्य
वीर सावरकर की पुण्यतिथि
(२६ फरवरी) के अवसर पर
समस्त देशवासियों व पाठकों
को हार्दिक शुभकामनाएं।

चन्द्रप्रकाश कौशिक राष्ट्रीय अध्यक्ष
मुन्ना कुमार शर्मा राष्ट्रीय महासचिव
वीरेश त्यागी राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

हिन्दू महासभा अखंड हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिये
कटिबद्ध, भ्रष्टाचारियों व देशद्रोहियों को सजा दिलाने
तक हिन्दू महासभा राज्यव्यापी आंदोलन जारी रखेगी

● संवाददाता ●

ग्वालियर स्थित महाराज वाडा के हेमू कालानी चौक पर ग्वालियर जिला हिन्दू महासभा द्वारा
विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश के दौरे पर आये हुए अखिल भारत हिन्दू महासभा के
राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा
एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश
त्यागी ने जनसभा के माध्यम से
मध्यप्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, देशद्रोह
की घटनाओं व शराब की खुलेआम
बिक्री के विरोध में राज्यव्यापी
आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत
करते हुए हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय
महामंत्री मुन्ना कुमार शर्मा ने आरोप
लगाया है



शेष पृष्ठ 11 पर

पठानकोट के बामियाल में बीएसएफ ने पाक घुसपैठिये को मार गिराया
घुसपैठ रोकने के लिये प्रशिक्षण शिविर नष्ट हो—हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

बीएसएफ ने बामियाल सेक्टर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया। इसी इलाके से आतंकवादियों ने पिछले साल वायु
सेना के एक ठिकाने पर हमला करने के लिए घुसपैठ की थी। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल निगरानी चौकी ने सुबह सवा आठ बजे के करीब अंतरराष्ट्रीय सीमा
घेरे से तकरीबन ५० मीटर की दूरी पर एक घुसपैठिये की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया। उन्होंने
कहा कि सैनिकों ने घुसपैठिये को चुनौती दी लेकिन कोई जवाब न पाकर उन्होंने गोलीबारी की। जिसमें
उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि २९ वर्षीय व्यक्ति का शव कुछ समय बाद
बीएसएफ ने हासिल किया। उसके पास कोई सामान, हथियार या आईडी कार्ड नहीं था और मृत व्यक्ति
ने पठानी सूट पहन रखा था। बीएसएफ महानिरीक्षक पंजाब सीमांत मुकुल गोयल ने कहा हमने स्थानीय
पुलिस को शव सौंपा है। अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के अपने समकक्षों के साथ लैग
बैठक भी की, लेकिन उन्होंने शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति उनके
देश का नहीं है। पिछले साल जनवरी में सीमा पार से आतंकवादियों ने सेक्टर में घुसपैठ की थी और
भारतीय वायु सेना के रणनीतिक ठिकाने पर दुस्साहसिक हमला किया था। अखिल भारत हिन्दू महासभा
के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री
वीरेश त्यागी ने केन्द्र की राजग सरकार से गुलाम कश्मीर स्थित आतंकी शिविरों को पूर्ण रूप से ध्वस्त
करने की मांग की है। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा है कि जब तक आतंकियों के



शेष पृष्ठ 11 पर

सबके संत ज्ञानेश्वर

केवल १५ वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर ने स्थानीय भाषा मराठी में भाष्य लिखकर इसे सर्वसुलभ बना दिया। संत ज्ञानेश्वर भारत के महान संत व मराठी कवि थे। उन्हें अपने ज्ञान और योग-साधना का जरा भी अहंकार नहीं था। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि उनके समय में एक योगी चांगदेव को ब्रह्मविद्या के अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया। वे संत ज्ञानेश्वर को नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए हाथ में विषधर सर्प लेकर वे सिंह पर सवार हो गए और महाराष्ट्र के एक गाँव आलंदी, जहाँ ज्ञानेश्वर अपने भाई-बहन के साथ रहते थे, उनसे मिलने के लिए चल पड़े। चांगदेव के आलंदी के समीप आते ही गाँव में हलचल मच गई। कुछ ज्ञानेश्वर के पास दौड़े हुए आए और उन्हें चांगदेव के सिंह पर सवार होकर हाथ में सर्प का चाबुक लेकर आने की बात बताई। उस समय ज्ञानेश्वर अपनी टूटी झोपड़ी में बैठे हुए थे। जब बहन मुक्ताबाई ने चांगदेव को ससम्मान लाने के लिए उचित व्यवस्था करने को कहा, तो कहते हैं कि ज्ञानेश्वर ने अपने योग-बल से झोपड़ी की दीवार को वाहन का स्वरूप प्रदान कर दिया। सभी भाई-बहन उस पर सवार होकर चांगदेव को लाने के लिए निकल पड़े। जब चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर का अहंकार रहित यौगिक बल देखा, तो उनकी समझ में आ गया कि चमत्कार साधना नहीं है, बल्कि इससे अहंकार जागता है। साधना तो अहंकार को विनष्ट कर देती है। सबसे बड़ा चमत्कार तो अंतर्मन में घटित होता है। उन्होंने ज्ञानेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और शिष्यत्व प्रदान करने की विनती करने लगे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म १२७५ में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। कम उम्र में ही पिता विट्ठल पंत एवं माता रुक्मिणी बाई का उनके सिर से साया उठ गया था। उन दिनों सारे ग्रंथ संस्कृत में हुआ करते थे और आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी। तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल १५ वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी में 'ज्ञानेश्वरी' नामक भाष्य की रचना करके गीता को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान-भक्ति से परिचित कराया। मात्र २१ वर्ष की उम्र में महान संत एवं भक्त कवि संत ज्ञानेश्वर पूरी चेतना के साथ ध्यान में बैठे और समाधि ले ली।

केजरीवाल का श्रीमद्भागवत गीता लेने से इंकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोहफे में श्रीमद्भागवत गीता लेने से इंकार कर दिया। चंदा बंद सत्याग्रह (नो लिस्ट नो डोनेशन कैंपेन) का प्रतिनिधिमंडल केजरीवाल के आवास पर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उन्हें गीता भेंट की, लेकिन केजरीवाल ने यह भेंट स्वीकार नहीं की। दरअसल, अभियान के सदस्य पंजाब में ४ फरवरी को हुए चुनाव में २१ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को उतारने के 'आप' के फैसले का विरोध करने पहुंचे थे। चंदा बंद सत्याग्रह के संयोजक मुनीष रायजादा और दो अन्य वालंटियर को केजरीवाल के आवास में जाने की इजाजत दी गई, बाकी सदस्यों को बाहर ही रोक दिया गया। केजरीवाल आवास में मौजूद थे, लेकिन रायजादा और अन्य वालंटियर को बहुत देर तक इंतजार कराया गया। वहीं, केजरीवाल ने उनसे गीता लेने से इंकार कर दिया। बता दें कि पंजाब में चुनाव लड़ चुके 'आप' के २१ में से ६ उम्मीदवार पर गंभीर आरोप हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, अपहरण और चोरी आदि के आरोप हैं। रायजादा ने कहा, गीता भेंट करने का मकसद अरविंद केजरीवाल को गीता में दर्ज 'कर्म' के संदेश का अहसास दिलाना था। कहा, 'हम केजरीवाल को यह समझाना चाहते थे कि कर्म का न्याय का अपना तरीका है और यह देर सवेर हो ही जाता है।' रायजादा 'आप' के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ चंदा बंद सत्याग्रह की शुरुआत की है। अभियान के सदस्यों ने वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया था।

ललित मैनी

साप्ताहिक राशिफल

मेघ : पति-पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ेगा और सन्तान के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। रिश्तेदारों से इस समय दूरी ही बनाये रखना आपके लिए लाभदायक होगा। यह समय आपके लिए उन्नति कारक ही सिद्ध होगा। सभी वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृष : इस सप्ताह पुराने मित्रों से भेंट होगी। नौकरी वाले व्यक्ति अपने बॉस से सावधानी बरतें। कार्य व व्यापार में अवसर प्राप्त होंगे। किसी मित्र के सहयोग से नई योजनाएँ बनेगी। जिनमें सफलता प्राप्त होगी। दशम स्थान में राहु रहने से किसी से ऋण न लें।

मिथुन : इस सप्ताह कुछ लोगों के परिवार में अचानक मतभेद उत्पन्न होंगे। सन्तान की प्रगति में बाधा आ सकती है। क्रोध बहुत आयेगा और चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है। नौकरी पेशा वालों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। नये कार्य इस समय नहीं करने चाहिए।

कर्क : पिछले सप्ताह किये गये कार्यों से नये अवसर प्राप्त होंगे। आप जो कुछ भी करेंगे इस समय आपको लाभ ही लाभ होगा। सर्दी जुकाम जैसे रोगों से सावधान रहना होगा। जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है न कि बुजदिली का। साहस व धैर्यपूर्वक किये कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है।

सिंह : कुछ लोगों के आमदनी के नये स्रोत बनने की संभावना है। अपने कार्य या व्यवसाय के अलावा धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। इस समय पड़ोसियों से सावधान रहे अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। कोई रूका हुआ कार्य आपका इस समय पूर्ण होगा।

कन्या : इस सप्ताह कुछ लोगों को नये कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि श्रम अधिक करना पड़ेगा और उसके मुकाबले लाभ कम मिलेगा। परिवार में पिता या बुजुर्ग के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आयेगी।

तुला : इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियन्त्रण रखें क्योंकि जो व्यवहार के सामंजस्य को बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में किसी नन्हें मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। आपको माथे या सिर पर चोट लग सकती है।

वृश्चिक : इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आय की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। धर्म व कर्म पर खर्च होगा। स्वभाव नकारात्मक रहेगा जिससे सन्तान सुख में बाधा आयेगी। अविवाहित लोगों के विवाह का योग बन रहा है।

धनु : इस सप्ताह किसी मित्र या रिश्तेदार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ होगा। आप-अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाये रखें। किसी दूसरे के प्रति अतिविश्वास हानिकरक साबित हो सकता है। आर्थिक स्थितियों में कुछ सुधार होगा जिससे मन कुछ हल्का होगा।

मकर : इस सप्ताह आपको किसी भी नये कार्यों में रूकावट पैदा हो सकती है। अतः आप इस समय नये कार्य को शुरू न करें। आर्थिक उन्नति हेतु किये कये कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कुम्भ : इस सप्ताह कुछ लोगों को मान-प्रतिष्ठा का लाभ मिलने की संभावना है। नये व्यापार में कोई रिस्क न उठाये। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। किसी मित्र या रिश्तेदार के आने से खुशी का माहौल रहेगा लेकिन परिवार के कुछ लोग परेशान रहेगे।

मीन : कुछ लोगों को इस सप्ताह परिवार की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाइयों का सुख व सहयोग प्राप्त होगा। अपनी वाणीपर नियन्त्रण रखें। आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के द्वारा परेशानी में पड़ सकते हैं।

पं० दीनानाथ तिवारी

श्रीमद्भगवत गीता

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्नागतागतं कामकामा लभन्ते॥

वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधनरूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात् पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं॥२१॥

अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ॥२२॥

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥

हे अर्जुन! यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझ को ही पूजते हैं: किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्पूर्वक है॥२३॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥

क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ: परन्तु वे मुझ परमेश्वर को तत्त्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात् पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं॥२४॥

अध्यक्षीय

भविष्य के भविष्य का गिरता स्तर, चिंतनीय



बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उन्हीं के भविष्य का स्तर लगातार गिर रहा है। जबकि प्राथमिक शिक्षा के नाम पर पूरे देश में खुलकर धन की बंदरबाट हो रही है। पर स्तर नहीं सुधार पा रहा है। गैर सरकारी संगठन प्रथम ने ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को दर्शाने वाली एनुवल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का ताजा अंक प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के ५८६ जिलों के ग्रामीण इलाकों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में ५ लाख ६२ हजार ३०५ बच्चों के शिक्षा के स्तर को नापा गया तो हैरान कर देने वाली बातें पता चलीं। आपको जानकर दुख होगा कि ग्रामीण भारत में बच्चों की पढ़ाई का स्तर या तो गिर रहा है या फिर इसमें मामूली सुधार दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष २०१४ में ग्रामीण भारत में ८वीं कक्षा के करीब ५३ प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य पढ़ नहीं पाते थे लेकिन वर्ष २०१६ आते-आते ये आंकड़ा ५५ प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया। यानी ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा बच्चा अंग्रेजी के सरल से सरल वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता। सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं ग्रामीण भारत में आठवीं कक्षा के छात्र गणित के सामान्य जोड़ने-घटाने के काम भी नहीं कर पाते। ग्रामीण भारत में शिक्षा की ऐसी बुरी हालत पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है। इस रिपोर्ट ने ग्रामीण भारत के

रही शिक्षा का दिखाया है। इस देश में शिक्षकों की बड़ी वजह है। आंकड़ों के सरकारी प्राइमरी

राष्ट्रीय उद्बोधन
चन्द्र प्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

बच्चों को मिल असली स्तर हालत के लिए कमी सबसे सरकारी मुताबिक देश में स्कूलों की

संख्या ८ लाख ४० हजार ५४६ है। देश में पहली कक्षा से ५वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की संख्या १२ करोड़ ६१ लाख है। इन प्राइमरी स्कूलों में ५ लाख ३६ हजार शिक्षकों की कमी है। शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में ३० बच्चों पर १ टीचर होना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत के प्राइमरी स्कूलों में २७ बच्चों पर एक टीचर है। ये सरकारी आंकड़े हैं। और कई बार इन आंकड़ों को निजी तौर पर कराए गए सर्वेज से चुनौती मिलती रहती है। भारत के प्राइमरी स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो तो बेहतर हुआ है लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है क्योंकि कागजों पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने से हकीकत में हालात नहीं बदलते। इस रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर में भले ही बहुत सुधार न हुआ हो। लेकिन स्कूलों में नाम दर्ज कराने वाले बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब ग्रामीण भारत में ६ से १४ वर्ष के ६७ प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनमें से ३० प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं जबकि ७० प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। वैसे इस रिपोर्ट में एक निराश करने वाला आंकड़ा ये है कि बच्चे स्कूलों में नाम तो लिखवा रहे हैं। लेकिन स्कूल जा नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी ६० प्रतिशत से कम पाई गई है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है। इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। भारत में सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च की बात करें तो इस वर्ष सरकार ने कुल बजट का ३.७१ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया है। इस बार बजट में शिक्षा के लिए ७६ हजार ६८६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले करीब ६ हजार करोड़ रुपये ज्यादा है लेकिन सच ये है कि भारत अपने जीडीपी का बहुत कम हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। भारत शिक्षा पर कुल जीडीपी का सिर्फ ०.४७ प्रतिशत खर्च कर रहा है। जबकि दुनिया के कई देश जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। आप सोचिए जब हम शिक्षा जैसे क्षेत्र में हाथ खींच कर पैसा खर्च करेंगे तो फिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी २८ करोड़ ७० लाख लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ये संख्या फ्रांस की कुल जनसंख्या से चार गुना है। यानी दुनिया की ३७ प्रतिशत निरक्षर आबादी भारत में रहती है और भारत में ७.१ प्रतिशत बच्चे आठवीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसकी वजह होती है स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षकों का ना होना और पढ़ाई के माहौल का अभाव लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो देश में शिक्षा के अच्छे दिन आ सकते हैं।

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादकीय

जरूरत, बड़े सुधार की



गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कई महत्वपूर्ण बातों के अलावा विधायिका में धन तथा समय के होने वाले अपव्यय पर चिंता जताई और चुनाव सुधार की वकालत भी की। एक हफ्ते बाद बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि अब राजनीतिक पार्टी किसी एक आदमी से सिर्फ २००० रुपये तक ही नकद चंदा ले सकती है। चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ली जा सकती है। हर राजनीतिक दल को तय समय में अपना रिटर्न फाइल करना होगा। पार्टी फंड के लिए दानदाता बॉन्ड खरीद सकेंगे। इसके पहले नोटबंदी के फैसले को भी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था कि इससे चुनाव में प्रयुक्त होने वाले काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी। दरअसल विगत कई वर्षों से चुनाव में धनबल का इस्तेमाल एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। राष्ट्रपति और वित्तमंत्री ने जो बातें कहीं, निर्वाचन आयोग पहले से उन पर चिंता व्यक्त करता रहा है और लगातार चुनाव सुधार की बात करता रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च की सीमा २८ लाख रुपये निर्धारित भी की है। लेकिन तथ्य यह है कि वास्तविक खर्च इससे कहीं ज्यादा किए गए खर्च को नहीं जोड़ा जाता है। इस बड़ा हिस्सा उम्मीदवारों है। नतीजतन उम्मीदवार ५० से ६० प्रतिशत खर्च कई उम्मीदवार सीमा से करते हैं। चुनावी तामझाम में अब यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है कि उम्मीदवार अंधाधुंध खर्च करके, सत्ता में आने के बाद उस खर्च को सूद समेत वसूलने के लिए क्या-क्या तिकड़में करते हैं। खर्च के अलावा दलों की कमाई भी हमेशा संदिग्ध रही है। जनवरी में ही एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक राइट्स एडीआर की एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि देश के राजनीतिक दलों की कमाई का ६६ फीसदी हिस्सा अघोषित स्रोतों से आता है, जिसकी जानकारी राजनीतिक दल चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नहीं देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की कुल घोषित आय ११,३६७.३४ करोड़ बताई गई, जिसमें से ७,६३२.६८ करोड़ रुपए की आय का जरिया अघोषित था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों ने २००४-०५ से अपने चंदे की रिपोर्ट ही जमा नहीं की है। यह रिपोर्ट एडीआर ने २००४-०५ से लेकर साल २०१४-१५ के बीच राजनीतिक दलों को मिले चंदे, चुनाव आयोग और आयकर विभाग को जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई थी। अब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच एडीआर की एक और रिपोर्ट आई है। जिसमें उम्मीदवारों का विश्लेषण अपराधिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर किया गया है। उत्तरप्रदेश के चुनावों में अपराध को एक बड़ा मुद्दा भाजपा और बसपा ने बनाया है। दोनों ही दल अपनी सरकार आने पर प्रदेश को अपराधमुक्त करवाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरप्रदेश में भाजपा ने सबसे ज्यादा अपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट बांटा है। पहले चरण में भाजपा के कुल ७३ उम्मीदवारों में से २६ के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि दूसरे नंबर पर बसपा है जिसके ७३ में से २८ उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि है। वहीं सपा के महज १५ उम्मीदवार और सबसे कम कांग्रेस के ६ उम्मीदवार अपराधिक छवि वाले हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इन उम्मीदवारों की संपत्ति का भी ब्योरा दिया है। पहले चरण के कुल उम्मीदवार ८३६ में से ३०२ करोड़पति हैं। बसपा पहले नंबर पर है जिसने ६६ करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भाजपा भी अमीरों को टिकट देने में पीछे नहीं है। भाजपा के ६१ प्रत्याशी करोड़पति हैं, वहीं सपा में ४० और कांग्रेस के सबसे कम १८ उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों में से १४ फीसदी के पास पांच करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इन उम्मीदवारों में तकरीबन आधे ४०२ ऐसे हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा का स्तर पांचवीं से १२वीं के बीच है। चुनाव सुधार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में अगर एडीआर की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाए, तो गहन निराशा हाथ लगती है। हालांकि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और मत डालने के अधिकार संविधानप्रद हैं, लेकिन अक्सर इन का दुरुपयोग राजनीतिक दल करते हैं। मौजूदा तस्वीर उसका ही प्रमाण है। जो दल दागी लोगों को अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, वे किस तरह किसी राज्य को अपराधमुक्त बनाने का दावा कर सकते हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें अक्सर धनबल के उपयोग की आशंका बनी रहती है और अक्सर सच साबित होती है। लाखों खर्च कर, करोड़ों कमाने की अभिलाषा पालकर चुनाव सुधार कैसे होगा। यूं निर्वाचन आयोग पूरा प्रयास करता है कि चुनाव निष्पक्ष, संतुलित व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों। लेकिन एडीआर की इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक दल ही डालते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े सुधार की जरूरत है।

राष्ट्रीय आह्वान

मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

होता है। पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के खर्च में तरह धन का एक बहुत के खाते में नहीं जुड़ता निर्धारित सीमा का मात्र ही दिखाते हैं, जबकि कई गुना ज्यादा खर्च

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org



सावरकर : हम दसों दिशाओं से आपको नमन करते हैं

श्री अश्विनी कुमार (सम्पादक पंजाब केसरी)

२६ फरवरी को वीर सावरकर के चित्र को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के अलमबरदारों को देश के ऊपर गम्भीर खतरा मंडराता नजर आ रहा है?? वीर सावरकर का चित्र वहाँ लगता या न लगता, मेरे लिए यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं, मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि सम्पूर्ण राष्ट्र आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इसी बहाने गम्भीरता से मनन करे, तब ही यह निर्णय किया जा सकता है कि वीर सावरकर की शोभा संसद में चित्र के लगाए जाने से बढ़ रही है या संसद का सम्मान वीर सावरकर की जीवन्त स्मृति से हो रहा है। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ से इतिहास हमें चुनौती दे रहा है।

1. वीर सावरकर पर महात्मा गाँधी की हत्या का आरोपी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है।
2. वीर सावरकर पर जिन्ना से पूर्व द्विराष्ट्र सिद्धान्त के प्रणेता होने का अभियोग है।
3. अनेक कारण राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है।

आज जो लोग वीर सावरकर पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह शायद सावरकर की जानकारी नहीं अन्यथा वह सैल्युलर जेल की माटी को अपने मस्तक पर धारण करते जहाँ कभी सावरकर भारत माता को आजाद कराने के क्रम में कैद काट रहे थे।

पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेप में नीचे वीर सावरकर के चरित्र पर एक नजर डाल रहा हूँ—

सन् १९०६ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि वह भारत के कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करेगी। लोकमान्य तिलक की अनुशंसा पर सावरकर लंदन जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कानून में दाखिला लिया। कुछ दिन तक स्थिति को देखा और फिर 'फ्री इंडिया सोसायटी' का गठन कर दिया। जिन लोगों ने सबसे पहले इसकी सदस्यता ग्रहण की, उनके नामों पर एक नजर डालें। वे थे—भाई

परमानन्द, मदन लाल धींगड़ा, लाला हरदयाल, सरदार हरनाम सिंह और सेनापति वापट।

इस सोसायटी के गठन के दिन सावरकर ने इसके उद्देश्य को इस तरह वर्णित किया—'शान्ति क जंग अधूरी है। भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए, इसकी अस्मिता के लिए हमें प्राणों की आहुति देने की शपथ लेनी होगी। जो भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से जान देकर मुक्त कराना चाहें वे ही हमारे सदस्य बनें।'

इस सोसायटी में गिने चुने परन्तु प्रचण्ड राष्ट्रभक्त आए। इसी सोसायटी के सौजन्य से सावरकर ने तीन पुस्तकें लिखीं—

1. मैजिनी की जीवन कथा
2. सिक्खों का इतिहास
3. १८५७ का स्वतंत्रता समर।

सिक्खों के इतिहास के अंश अक्सर सावरकर जनसभाओं में सुनाते और माँओं से माँग करते कि हमें अजीत सिंह और जुझार सिंह जैसे बच्चों की जरूरत है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह चाहिए। १८५७ के इतिहास में पहली बार राष्ट्र के वीरों के प्रति सम्मानपूर्ण शब्द कहे गए, अन्यथा आज तक लाल रंग में रंगे और बिके हुए इतिहासकारों ने उसे विकृत कर दिया था। खुफिया विभाग उनके पीछे पड़ गया। उन्होंने १८५७ के इतिहास को अंग्रेजी में प्रकाशित करवा कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। लाला हरदयाल ने अपने अखबार 'गदर' में इसे धारावाहिक के रूप में छपा। भारतीय युवकों को बम बनाने की जानकारी देने के लिए उन्होंने रूस से तीन व्यक्ति भारत भेजे। सारा भारत बम के धमाकों से गूँज उठा। १३ मार्च १९१० को उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। एक जुलाई को पानी के जहाज द्वारा भेजा गया। रास्ते में वह छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए और फ्रांस की सीमा तक जा पहुँचे, परन्तु अंत में उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया गया। मुकदमा चला। सावरकर यरवदा जेल में बंद थे।

उनके वकील बने अंग्रेज बैरिस्टर वेपतिस्ता, श्री चितरे और श्री

गाडगिल। उन पर अभियोग लगा कि उन्होंने बम बनाने की तकनीक भारत भेजी, क्रान्ति के लिए हथियार भेजे, इतिहास के माध्यम से जनभावनाएँ उद्देलित की, मदन लाल धींगरा को उकसा कर ब्रिटिश पदाधिकारी वायली को मरवाया।

बहुत—सी बातें मनगढ़ंत भी थीं। सावरकर ने कहा—“राष्ट्र को गुलामी के बंधनों से मुक्त कराना मेरा प्रथम लक्ष्य। इसके लिए सतत संघर्ष करना मेरा एकमात्र ध्येय। मैंने अपनी 'माँ' से छल नहीं किया। एक स्वाभिमानी को जो करना चाहिए था, वही मैंने किया। मुझे इस न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं।”

उन्हें सजा मिली दो बार आजन्म कारावास। वहाँ से सैल्युलर जेल (अंडमान/कालापानी) भेजे गए और वहाँ जो अत्याचार उन पर किए गए उसे काश! मैं यहाँ लिख पाता....

गर्म सलाखों से बदन को दागे जाते समय 'वंदे मातरम्' बोलना राष्ट्रभक्ति थी या चरखे चलाते हुए निष्क्रिय बैठे रहना और अहिंसा-अहिंसा चिल्लाते हुए सवेरे जेल में दूंस दिया जाना और शाम को बाहर निकल आना। वक्त आ गया है—और जब वक्त उस दौर का वास्तविक इतिहास लिखेगा, आप यकीन रखें वह तमाम तथाकथित महान लोग जो आज तक प्रचार माध्यमों की बैसाखियों पर महान बने बैठे हैं, धूल-धूसरित हो जाएंगे।

जनवरी १९२१ में उन्हें भारत लाकर रत्नागिरि जेल में बंद कर दिया गया। यहाँ उनसे महात्मा गाँधी और वीर भगतसिंह भी मिले।

उन्होंने भगत सिंह से कहा, “पंजाब के बेटों पर इस मुल्क को गर्व है। तुम गुरु गोविन्द सिंह के पुत्र हो। राष्ट्र की रक्षा के लिए फाँसी पर झूलने से भी मत घबराना।”

भगत सिंह को यह पहली प्रेरणा थी। गाँधी को उन्होंने कहा, “लीगी नेताओं से सावधान! वह देश को तोड़ देना चाहते हैं, उनकी चालों पर नजर रखनी होगी।”

१० मई १९३७ को अन्ततः

सावरकर आजाद हो गए। ३० दिसम्बर, १९३७ को वह सर्वसम्मति से हिन्दू महासभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत को 'हिन्दू' शब्द की परिभाषा दी—

‘सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली, इस मातृभूमि को जो अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है, वही हिन्दू है।’

७ और ८ अक्टूबर १९४४ को हिन्दू महासभा नई दिल्ली में अखंड भारत सम्मेलन हुआ। इसमें जगद्गुरु शंकराचार्य, भरतपुर के महाराज सवाई ब्रजेन्द्र सिंह, डॉक्टर मुंजे, हनुमान प्रसाद पोद्दार सब उपस्थित थे। वीर सावरकर ने सिंह गर्जना की—

‘भारत को खंडित करने और पाकिस्तान बनाने की माँग ने राष्ट्र को शौर्य और स्वाभिमान को चुनौती दी है। ये कांग्रेसी अहिंसा की ओट में देश को विखंडित करने का षड्यंत्र रच चुके हैं। सावधान राष्ट्र के हिंदुओं जागो, अन्यथा देश के टुकड़े हो जाएंगे।’

उन्होंने एक बात और जोर देकर कालान्तर में बार—बार कही—‘देश

का बंटवार मेरी लाश पर होगा, ऐसा बोलने वाले महात्माओं में यथार्थ के झंझावातों से जूझने की ताकत नहीं रही। इस आश्वासन में मत रहना, जागो, नहीं तो ये कांग्रेसी नेता राष्ट्र को तोड़ देंगे।’ मैं इस मुकाम पर खड़ा अपने पाठकों से और इस देश के लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ—

‘जिन्होंने राष्ट्र को झूठे आश्वासन दिए, जिन्होंने शेख के साथ मिलकर कश्मीर का सौदा कर दिया, जिन्होंने तिब्बत बेच दिया या जिन्होंने विभाजन को स्वीकार किया और जो पेरिस भेज कर अपने कपड़े धुलवाते रहे, वे आज पूजित हों या वह वीर सावरकर जिसने सर्वस्व न्यौछावर करके भी केवल एक ही आह्वान किया—अखण्ड भारत।’ आज जब संसद में एक और जिन्ना फिर पाकिस्तान की तर्ज पर जमीन माँगने का साहस करे तो उसे क्या जवाब दिया जाए, इसका निर्धारण सावरकर का चरित्र करे या बैसाखियों पर टंगे तथाकथित महापुरुष?

दान/सहयोग द्वारा इन्द्रदेव, बुलन्दशहर

माह पौष विक्रमी सम्वत् २०७३

1. अखिल भारत हिन्दू महासभा मन्दिर मार्ग, 1001/- नई दिल्ली-११०००१
2. नारायण सेवा संस्थान हिरण मगरी, सेक्टर-४, 5000/- उदयपुर-३१३००२
3. हिन्दू सभा वार्ता (साप्ताहिक) मन्दिर मार्ग, 300/- नई दिल्ली-११०००१
4. स्वामी दयानन्द संस्थान, दिल्ली-११००३६ 200/-
5. ब्राह्मण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार, बिजनौर 350/-
6. स्वामी श्री विश्वात्मा नन्द सरस्वती द्वारा 200/- अद्वैत वाद पर प्रवचन देने पर दान
7. ए० के० पी० (पी० जी०) कालेज, खुर्जा की 501/- स्वर्ण जयन्ती पर दान
8. आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ के 1001/- वार्षिक वृहद अधिवेशन पर दान
9. डी० ए० वी० (पी० जी०) कॉलेज, बुलन्दशहर 1001/- की ६० वीं वर्षगाँठ पर दान
10. गुरु गोविन्द सिंह के प्रकाशोत्सव पर दान 500/-
11. राष्ट्रीय कोहिनूर साप्ताहिक एटा को सहयोग 1500/-
12. गुप्त दान 500/-

टोटल 12054/-

इन्द्रदेव गुलाटी, संपादक, सावरकरवाद प्रचार सभा

वीर विनायक दामोदर सावरकर से कालापानी जेल में नवम्बर १९२० में नारायण सावरकर को पुनः अपने भ्राताओं से भेंट करने की अनुमति मिली। इस बार वे सावरकर की पत्नी श्रीमती यमुनाबाई के साथ ही आए थे। सावरकर को इस भेंट से जहाँ अतीव प्रसन्नता हुई, वहीं दुःख भी हुआ कि इस बार उनका परिवार जब उनके दुर्बल शरीरों को देखेगा, तो उसे निराशा होगी। वे स्वयं इस बात को अनुभव कर रहे थे कि शायद यह अंतिम भेंट हो।

अनुज को पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए का उपदेश भी दिया। फिलीपीन्स के समान यह भेंट भी अल्पकालिक रही। धरती के प्रत्यक्ष नरक में रहकर सावरकर के जीवन में कई बार निराशा के पल आए, पर अपनी स्वाध्यायशील प्रकृति के कारण सावरकर ने उन पर विजय प्राप्त की। आजन्म कारावास की सजा पाकर आए मानसिंह लाठी-डंडों की पिटाई और क्षय रोग के कारण शहीद हो गए, धर्मवीर रामरक्षा हुतात्मा बन गए, कितने ही रामचरणदास फौसी को जीवन मुक्ति का साधन मानने लगे थे। ऐसे वातावरण में रहकर यदि सावरकर के मन में निराशा के बादल छा जाएँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी नारकीय व भेदभाव से परिपूर्ण परिस्थिति में कुछ सुविधा पाने या उससे बाहर निकलकर मातृभूमि की सेवा करने के लिए यदि सावरकर ने आवेदन पत्र लिखे भी तो केवल इसी के कारण ही उन्हें घृणित, कायर व राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता।

नीति व बुद्धिहीन लोगों ने इस बात को लेकर देश के लिए तिल-तिल कर गलने वाले महान स्वातन्त्र्य वीर सावरकर के चरित्र पर कीचड़ उछालने की नादानी की। संस्कृत के कवि ने राजनीति को वारांगना (वेश्या) कहा है। यह बात आज भी सत्य है। इस भारत देश में एक तरफ तो सावरकर जैसे राष्ट्रभक्त को अपमानित किया जाता है और दूसरी तरफ गाँधी के भक्त होने का दम्भ भरने वाले नेता उस मोहम्मद अली जौहर की जीवनी को प्रकाशित करवाते हैं, जिसने दुराचारी व पतित मुसलमान को भी गाँधी से श्रेष्ठ माना था। इसके विषय में नेहरू ने लिखा था कि वह हृदय दर्जे का मतान्ध है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने जिसे देशभक्त मानने से इंकार किया था, जिसने वंदेमातरम् का विरोध किया था, जिसने पं. मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध कर मुसलमानों को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व देने की माँग का समर्थन किया था। जिसने मुसलमानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसके कारण खिलाफत आंदोलन मोपला दंगों के रूप में बदला, जिसमें हिन्दू स्त्रियों को जबरन मुसलमान बनाया।

गाँधी-नेहरू की छत्रछाया में पलने व चलने वाली सरकार द्वारा उनके कट्टर विरोधी व्यक्ति की जीवनी प्रकाशित करवाने तथा उसके नाम पर उर्दू-फारसी और अरबी की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसकी जयन्ती भव्य रूप से मनाने आदि कार्य तो शायद ६ मर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आते हैं और संसद में सावरकर का चित्र लगाने को साम्प्रदायिक कहकर विरोध किया

की सम्भावना रहती तो शायद हम सशस्त्र प्रतिकार का मार्ग न अपनाते।

इस युद्ध के माहौल में यदि सरकार दूरदर्शिता से काम लेकर विधान मंडल में हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वायत्तता देगी और केन्द्रीय विधान मंडल में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को बहुमत प्रदान करेगी, तो हिन्दुस्तान के कल्याण के लिए हम और हमारे क्रान्तिकारी सहयोगी सशस्त्र प्रतिकार का मार्ग त्यागकर

राजनैतिक बंदियों की रिहाई के लिए आंदोलन शुरू हो गया।

सावरकर ने मि. मोन्टेग्यू को व्यक्तिगत पत्र लिखने की अनुमति माँगी। स्वीकृति मिलने पर उन्होंने पत्र में राजनैतिक बंदियों, विशेषकर क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों अपने तरीकों तथा प्रस्तावित सुधारों के बारे में अपने रवैये पर संक्षेप में लिखा। हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं को जानकारी देने हेतु अपने भाई को

दूर समुद्र के बीच में काले पानी की अंधेरी कोठरियों में पड़े सड़ रहे हैं, आँसू की एक बूँद भी नहीं टपकती!!

लगता है कि कांग्रेस के नेता इस आशंका के शिकार हैं कि यदि वे राजनैतिक बंदियों, क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे तो सत्तासीन गोरे साहबों में उनकी छवि खराब हो जाएगी। राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से राजनैतिक बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव अवश्य पारित कराया जाना चाहिए। वायसराय तथा मि. मोन्टेग्यू को भेजे अपने पत्र में मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस आवेदन को भेजने का मेरा उद्देश्य राजबंदियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना ही है। यदि किसी कारणवश से मुझे मुक्ति न मिले तब भी मैं अन्य सभी राजबंदियों की मुक्ति से पूर्ण संतुष्ट रहूँगा। मैं स्वयं जेल में रहते हुए यदि अन्यो की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सका तो अपने को धन्य ही समझूँगा। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार वास्तव में दायित्वपूर्ण शासनाधिकार अर्थात् कम से कम केन्द्रीय विधानमंडल में परिणामकारक बहुमत दे, साथ ही राजबंदियों और निर्वासित देशभक्तों की पूर्ण मुक्ति की घोषणा कर दे, अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य देशों में भटक रहे भारतीय देशभक्तों पर से आरोप-पत्र वापस ले ले, तो मुझ जैसे राजबंदियों को इस नए घटनाक्रम का स्वागत करने में हिचक न होगी।

यदि शान्ति और संविधान का रास्ता खुला है तो कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त हिंसा, रक्तपात और अराजकता का मार्ग क्यों अपनाएगा? जब उसके देश की स्वाधीनता, अधिकारों तथा अन्य माँगों को अनसुना कर दिया जाएगा। संविधान सम्मत तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँगे, तो राष्ट्रभक्तों को हिंसा, रक्तपात तथा विद्रोह का मार्ग अपनाने को विवश होना पड़ता है। इंग्लैंड और अमेरिका की तरह हमारे प्रत्येक देशवासी का स्वायत्त अधिकार, प्रगति के अवसर तथा स्वाधीनता प्रदत्त की जाए तो स्वतः ही युवक हिंसा और अराजकता का मार्ग छोड़कर शान्ति के मार्ग को अपना लेंगे। अगस्त महीने में मि. मोन्टेग्यू को भेजे गए ज्ञापन के उपरोक्त अंशों को सावरकर ने अपने भाई को भेजे पत्र की असंख्य कापियाँ राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधियों के बीच बाँटीं।

इस पत्र के अंश अमृत बाजार पत्रिका, दी बंगाली तथा अन्य अंग्रेजी और भाषाई पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। परिणामतः अंडमान तथा अन्य स्थानों पर नजरबंद राजनैतिक बंदियों के प्रति जनता के मन में सहानुभूति की भावना पैदा होने लगी। पं. मदनमोहन मालवीय, डॉ. एनी बेसेण्ट के तमाम सदस्यों को भी सावरकर ने इस पत्र की प्रतियाँ भेजीं। समाचार पत्रों में अंडमान के बंदियों के साथ किए जाने

वीर सावरकर पुण्यतिथि २६ फरवरी पर विशेष

वीर सावरकर का माफीनामा नहीं, शौर्यपूर्ण कारनामा

राजेश कुमार 'रत्नेश'

इस युद्ध में इंग्लैंड के पक्ष का समर्थन करने को तत्पर हो सकेंगे। मैंने पत्र के अंत में लिखा यदि यह संदेह हो कि मैंने यह पत्र बंदीगृह से छुटकारा पाने के लिए लिखा है और हम जेल से छूटने पर पुनः अशान्ति पैदा करेंगे, तो मेरा सुझाव है कि हमें न छोड़ते

भेजे पत्र में सावरकर ने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से तमाम राजनैतिक बंदियों को मुक्त करने की माँग की है। वह देश भर के अन्य प्रान्तीय परिषदों की अपेक्षा कहीं



हुए सरकार अन्य निर्वासित बंदियों को तत्काल मुक्त कर दे। उनकी मुक्ति में ही हम अपनी मुक्ति का संतोष कर लेंगे।

मोतीलाल जैसे क्रान्तिकारियों ने अंडमान कारागार की यातनाओं का विस्तृत वर्णन लिखकर भेजा, जो समाचार पत्रों में छपा। जेल के नियमानुसार कैदी को वर्ष में एक पत्र ही घर वालों को लिखने की अनुमति थी। सावरकर ने बड़ी चतुराई से छोटे भाई नारायण सावरकर को लिखे पत्र में लिखा था कि किस प्रकार सरकार उन्हें राजनैतिक बंदी मानने को तैयार नहीं होती, किस प्रकार संघर्ष करके उन्होंने सुविधाएँ पाईं। ये सब विवरण नारायण सावरकर ने देश के प्रमुख नेताओं और समाचार-पत्रों को भेजा। फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य देशों के समाचार पत्रों में भी सावरकर के हवाले से अंडमान निकोबार के बंदियों की दयनीय स्थिति पर लेख प्रकाशित होने लगे। इससे देश में तमाम

अधिक निर्भीकता से तमाम राजनैतिक बंदियों की रिहाई के लिए प्रयत्नशील है। हम राजनैतिक बंदी अपनी मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभारी हैं। संयुक्त प्रान्त तथा आन्ध्र प्रदेश की परिषदों ने भी हमारे लिए इसी प्रकार के प्रस्ताव पारित किए हैं। मैं आश्चर्य में हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनैतिक बंदियों की मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करने में शर्म या हिचकिचाहट क्यों है? राष्ट्रीय कांग्रेस ने गत वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया था। किन्तु वह केवल युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों के बारे में था। हम जैसे राजबंदी जो वर्षों से जेल में अमानवीय यातनाएँ सहन कर रहे हैं, उनके बारे में ये नेता लोग कुछ क्यों नहीं सोचते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुसज्जित, भव्य व वातानुकूलित पंडालों में बैठे इन नेताओं की आँखों से हमारे लिए, जो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दर-दर की ठोकरें खाने के बाद, अपने घरों से हजारों मील

जाता है। हाय! यह कैसा लोकतंत्र है? अब हम आवेदन पत्र के विषय पर आते हैं, जिसके कारण ईर्ष्यालु लोग सावरकर पर आक्षेप लगाते हैं कि उनके आवेदन पत्रों में मुख्यतः सुविधाओं की माँग ही होती थी। सावरकर ने 'मेरा आजीवन कारावास' में लिखा है—'आज जेल अधीक्षक को दो आवेदन पत्र भेजे। डोंगरी से यहाँ आते ही नियमित मिलने वाला दूध बन्द कर दिए जाने से तथा यहाँ ज्वार की रोटी खाने से पेट ठीक नहीं रहता था। इसलिए दूध फिर से दिलाए जाने का अनुरोध किया था। दूसरा अनुरोध था कि मुझे पुस्तकें मिलती रही हैं जो अब छीन ली गई हैं, उनमें से कोई एक पुस्तक मुझे पढ़ने को दी जाए। यह वर्णन भयखला जेल का है। पुस्तक के रूप में बाइबिल मिली, पर दूध नहीं।'

"मैंने इससे पहले एक आवेदन लिखा था। उसमें अपने लिए जो दो आजन्म कारावास की सजाएँ थीं, उन्हें एक साथ चलाने की प्रार्थना की थी। यह भी स्वीकार्य नहीं हुई। मैं यह अनुभव करता था कि कारागार से बाहर रहकर ज्यादा प्रचार कार्य किया जा सकता है। इसलिए एक वर्ष पूर्ण होते ही बाहर भेजे जाने का आवेदन स्वीकार नहीं हुआ।" ब्रिटेन-जर्मनी युद्ध—असहाय स्थिति में होने के बावजूद दो बड़ी शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध से हिन्दुस्तान की स्वाधीनता के दूरगामी परिणामों पर विचार कर हमने सहयोग की रूपरेखा मन में बनाई तथा हिन्दुस्तान सरकार के नाम एक पत्र भेजने का निर्णय किया। मैंने लिखा हिन्दुस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों की पंक्ति में बिठाना हमारा मुख्य ध्येय था और है। तथापि इस ध्येय की पूर्ति के लिए रक्तपात या सशस्त्र क्रान्ति के मार्ग को ही अपनाने की हमने दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं की है। इतना ही नहीं, यदि किसी अन्य उपाय से यह ध्येय सफल होने

(पिछले अंक का शेष)

राब्ता-ए-मदारिस-ए-इस्लामिया नाम के संगठन ने जिसमें 3000 मदरसे संलग्न हैं, उसमें देवबन्दी दारुल उलूम के रेक्टर मौलाना अबू कासिम ने, जो देश भर में 8000 मौलानाओं और मौलवियों के भी प्रमुख हैं, उन्होंने उपर्युक्त सम्मेलन में सरकार के मन्तव्यों की भर्त्सना कर डाली। देवबन्द में स्थित मस्जिद रशीदिया में आयोजित इस सम्मेलन में कई खुलासे भी हुए थे। मुसलमानों के लिए अलग बैंक, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बिना सूद के ऋण, इस्लामी बचतखातों के लिए अलग बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के लिए पृथक इस्लामी इंडेक्स—यह सब तो अवश्य चाहिए पर; उनकी 'प्रोफाइलिंग' करना हिन्दू सरकार की साजिश है। जब मुसलमानों के हर ढाँचे में पार्थक्य चाहिए, तो यह जातीय या धार्मिक प्रोफाइलिंग स्वतः हो जाती है। मौलानाओं के वक्तव्य हास्यास्पद भी हैं और उनकी नासमझी के नतीजे भी।

“हम लोगों को धार्मिक उपदेशों को आधुनिक विमर्श से मिश्रित करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग धार्मिक मामलों में पूरी तरह परिपक्व व विकसित हैं—जहाँ तक ‘दीन के इल्म’ और ‘दीन की हिफाजत’ का प्रश्न है!” दूसरे आधुनिक विषयों के लिए अन्य संस्थान पहले से ही हैं। नोमानी की यह दो टूक टिप्पणी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ व दूसरे दैनिक पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। अबू कासिम नोमानी ने यह भी कहा था कि दर्प-ए-निजामिया मदरसों की शिक्षा-प्रणाली ऐसी है कि जो दारुल-उलूम से जुड़े हैं, उन्हें नौकरी खोजना या धनार्जन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हम सिर्फ धार्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दूसरे विषय जैसे अंग्रेजी साहित्य अथवा कम्प्यूटरों का ज्ञान सिर्फ धार्मिक शिक्षा पाने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। कुरआन की शिक्षा को इंजीनियरिंग या मेडिकल की शिक्षा के पाठ्यक्रमों से मिलाया नहीं जा सकता है, जो सर्वोपरि है। उन पाठ्यक्रमों की धारा अलग है, ‘पवित्र’ कुरान की अलग।

देवबन्द अपने असली एजेंडा पर किस तरह आवरण डालता है, यह अपने में एक विषय कहा जा सकता है। इस्लाम के प्रति सेकुलरवादी भ्रम बनाये रखने

में देवबन्द के दारुल-उलूम-नदवतुल उलेमा (नदवा) का वर्चस्व देश की स्वतंत्रता के दशकों पहले भी था और आज भी देश के अनेक दलों के बड़े नेताओं के प्रश्रय के कारण बना हुआ है। उनकी परिवर्तित रणनीतियों के बावजूद उनका असली मन्तव्य सहज देखा जा सकता है।

पिछले 95 अगस्त के दिन देवबन्द के दारुल उलूम के परिसर

उलेमा काउंसिल का आह्वान भी जारी है और आज इंडियन मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन (आई.एम.आई.एम.) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पूर्वांचल के जिलों पर नजर रखे हुए हैं।

हमारे देश में देवबन्द के इमाम सूफियों या उनके दरवेशों व फकीरों के हिन्दू साधु-संतों जैसे आचरण व कव्वालों के संगीत

तालिबों ने पाकिस्तान की बची-खुची ‘सिन्क्रेटिज्म’ (मिली-जुली) आवाज को दबा दिया है। सुन्नी धर्मान्ध सूफियों से घृणा करते हैं; क्योंकि वे अतिरेकियों की विचारधारा के विरुद्ध हैं और भय का साम्राज्य विधर्मियों के मस्तिष्क में उभारकर मौन मतान्तरण में विश्वास नहीं रखते हैं। भारत में भी सऊदी अरब के पेट्रो-डालरों द्वारा पोषित मदरसों

अनुसार—“जबकि मुसलमान का यकीन है कि वह ईश्वरीय ज्ञान सारी दुनिया में फैलाता है और वे सभी दूसरे धर्मों से अलग हैं; दूसरे धर्म वाले पथभ्रष्ट हैं” तब स्थिति स्पष्ट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद तक भी स्पष्ट लिख चुके हैं—“कोई भी विचार, जिसका स्रोत कुरान के बाहर है नितान्त कुफ्र है।” सैयद कुतुब के अनुसार “पंथनिरपेक्षता और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले ‘जाहिलया’ (मूर्ख) हैं।” मुस्लिम के लिए सिवाय उसके विश्वास के कोई दूसरी स्वीयता हो ही नहीं सकती। यही बात सुन्नी इस्लाम के हर प्रवक्ता आज भी कह रहे हैं

बहुत पहले देवबन्द मदरसे के विद्वान् मौलाना असद मदनी ने गाँधी जी के विचारों की आलोचना करते हुए कहा था कि “जिस प्रकार पैगम्बर ने मदीना में यहूदियों व मुसलमानों की एक संयुक्त राष्ट्रीयता स्थापित की थी, उसी तर्ज पर भारत में भी हिन्दुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीयता में इकट्ठा किया जा सकता है।” किस चतुराई से कांग्रेसी शासन को अप्रसन्न किये बिना उनका प्रश्रय लिया गया था। “इस्लाम और मुत्ताहिदा कौमियत” नामक ग्रंथ में मौलाना हुसेन अहमद मदनी ने ऐसा लिखा जो इतिहास की दृष्टि से हास्यास्पद लगता है। सेकुलर सोच के आवरण के भीतर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे भारतीय नेता इसे हिन्दू-बहुल सांस्कृतिक राष्ट्र कहने में भी नहीं लजाते हैं। असल में इस झूठे उदाहरण द्वारा भारत की इस्लामी राजनीति की आकांक्षा इस देश में इस्लामी राज्य-राष्ट्र बनाना ही है। पहले इसे नेहरू गाँधी की सहमति मिली थी और आज भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव व चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र ‘हरित प्रदेश’ द्वार उ.प्र. के बंटवारे की माँग के द्वारा की जा रही है। आज सोशल मीडिया में किसी भी तथाकथित नामी अनामी संगठन या मुस्लिम नेता के अविश्वसनीय फतवे हर रोज मिलते हैं, जो ‘आन लाइन रेडिकलाइजेशन’ को इंगित करते हैं। अनेक वेब कम्पनियाँ जैसे एफ. बी., गूगल आदि उन्हें स्वतः रोकने का दावा करें पर सच यह है कि एक ऐसी मानसिकता देश में फिर जन्म ले सकी है, जो पाकिस्तान बनने के

सुन्नी या वहाबी इस्लाम का वैश्विक वैचारिक स्रोत देवबन्द

हरिकृष्ण निगम

में तिरंगा फहराने से देश का अंग्रेजी मीडिया गद्गद हो उठा था। इसी तरह पहले देवबन्दी इमाम कहते थे कि बीमा गैर-इस्लामी है; पर जब अंग्रेजों के समय से 1960 के बाद बड़ी योरोपीय जीवन व साधारण बीमा की अनेक कम्पनियाँ कार्यरत थीं और उनके

के बारे में मौन स्वीकृति देते हैं। साफ है सेकुलर कहलाने वाले हिन्दुओं के लिए वे मतांतरण का मायाजाल बुनने में बड़ी सहायता करता है। पर यही देवबन्दी वहाबी इस्लाम के समर्थक सूफियों को निर्ममता से मार भी डालते हैं। हाल में प्रसिद्ध सूफी

व मस्जिदों में यह जहर फैल रहा है। कुछ वर्षों पहले जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को भाग लेना था। समाचार मिलते ही देवबन्द की दारुल उलूम सेमिनेरी के मौलाना ने धमकी दे डाली कि वे सभास्थल को ही तहस-नहस कर देंगे, यदि ऐसा होगा। भारत सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के स्थान पर देवबन्दी मौलवियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने स्वयं रुश्दी को, जो अपने भारतीय मूल का मुसलमान होने पर सदैव गर्व करता रहा, मजबूर कर दिया कि वह अपनी जयपुर यात्रा निरस्त कर दे। यहाँ तक कि डिजिटल मीडिया द्वारा ‘ऑन लाइन’ सत्र द्वारा साहित्य प्रेमियों के लिए आयोजित सत्र की वीडियो लिंक को भी स्थगित करवा दिया गया। मुस्लिम धर्मान्ध व देवबन्द मदरसे के दबाव में दिल्ली व राजस्थान राज्य सरकार दोनों झुकी ही नहीं, रेंगने लगीं। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं, जिन्होंने सलमान रुश्दी का निजी स्वागत करना भी अमान्य कर दिया।

एक जैसी आस्था वाले इस्लामी देशों को सेकुलर कहना मखौल है; क्योंकि वे इस्लामी कट्टरता, शैतान अमेरिका व पश्चिमी देशों की राजनीति को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाते हैं। हमारे देश की इस्लामी राजनीति का विश्वास सेकुलरिज्म में कतई नहीं है; क्योंकि वे राष्ट्रवादियों को कई दशकों से अपना दुश्मन मानते रहे हैं। इस्लामी विचारक डॉ. मुशीरुल हक के



शीर्षस्थ अधिकारी व सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एजेंट जैसे शमशेर अली विदेशों में आमंत्रित किए जाते थे, तब देवबन्दी इमाम फतवा वापस ले लेते थे। जब पाकिस्तान सहित 50 से अधिक इस्लामी देशों में निजी व राष्ट्रीयकृत बीमा संस्थान हैं, तब देवबन्दी इमामों ने भी इसे गैर-इस्लामी कहना बंद कर दिया। वह मौलाना अबुल कलाम आजाद का जमाना था, जिन्हें काहिरा का अल-अजहर का इमाम भी आदर देता था; पर जब से दिल्ली में नरेन्द्र मोदी सत्तारूढ़ हुए हैं, जब-तब देवबन्दी भी बीमा व सुरक्षा बचत के माध्यमों पर वार कर रहे हैं। सन 2017 में होने वाले चुनावों में बसपा (मायावती) और सपा (अखिलेश यादव) ने प्रत्याशियों के नामों की जो घोषणा शुरू की है, उसके साथ राष्ट्रीय

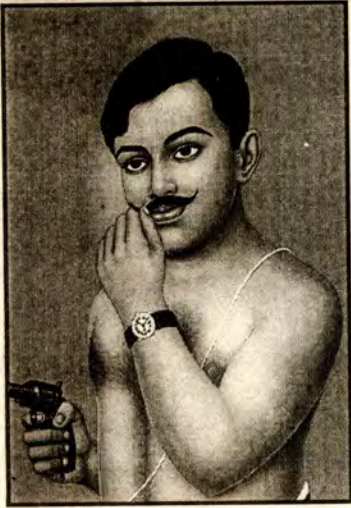
गायक 85 वर्षीय अमजद साबरी को दिनदहाड़े कराची में दो मोटरसाइकिल सवारों ने रिवाल्वरों से भून डाला था। हमें याद है कि अमजद साबरी गत सितम्बर, 2015 में पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ‘शान-ए-पाक’ नामक कार्यक्रम में आये थे, जिसमें देश के सैकड़ों बुद्धिजीवियों व नेताओं को आमंत्रित किया गया था। अंग्रेजी ख्यातिप्राप्त लेखक विलियम डेरी लिम्पल जो भारत में साहित्यिक महोत्सवों के आयोजन के लिए पहले से ही प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के 26 जून, 2016 के अपने अग्रलेख में कहा है कि कराची जो पाकिस्तान की ‘सूफी राजधानी’ के रूप में प्रसिद्ध है, उसने एक समन्वयवादी आवाज का गला घोट दिया। सुन्नी, वहाबी व देवबन्दी इस्लाम के

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ५५६ देशी रियासतों में से गुजरात से सटे हुए क्षेत्र में अलीराजपुर नामक (सम्प्रति मध्य प्रदेश) रियासत के झाबुआ जिले में एक छोटा सा ग्राम था 'भाबरा'। इसी गांव में पं। सीताराम जी तिवारी तथा जगरानी देवी, साधारण सा कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इनके ही निकट अग्निहोत्री जी का परिवार कृषि आदि कार्य कर निर्वाह करता था। इन्हीं पं। सीताराम जी तिवारी के यहां २३ जुलाई, १९०६ को एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। शैव परिवार की मान्यताओं के अनुसार इस बालक का नाम 'चन्द्रशेखर' रखा गा। ५ वर्ष की आयु के पश्चात् स्थानीय पाठशाला में इनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ हुई। ब्राह्मण परिवार के सात्विक संस्कारों के कारण इस बालक में 'संस्कृत' पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई। बालक चन्द्रशेखर ने अपनी यह इच्छा पिताश्री से कही। किन्तु पारिवारिक स्थिति के कारण पिता जी ने उन्हें काशी भेजने में अपनी असमर्थता प्रकट की। किन्तु दृढ़ निश्चयी बालक एक दिन चुपचाप घर से निकलकर काशी पहुंच गया। वहां एक गुरुवास में रहकर वे संस्कृत का अध्ययन रुचिपूर्वक करने लगे।

इधर नियति कुछ और ही निश्चय किए बैठी थी। गांधी जी ने 'असहयोग आन्दोलन' छेड़ दिया था। यह १५ वर्षीय बालक इस आंधी की चपेट से दूर कैसे रह सकता था? काशी में छिड़े आन्दोलन ने इस किशोर बालक चन्द्रशेखर ने पुलिस के क्रूर व्यवहार से नाराज होकर एक पत्थर से पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। पुलिसकर्मी गण इस युवक को पहले तो पकड़ नहीं सके, किन्तु मस्तक पर लगे चन्दन के टीके के कारण ये पहचान में आ गए। उन्हें पकड़कर तत्काल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। युवक चन्द्रशेखर से मजिस्ट्रेट ने पूछा—

तुम्हारा क्या नाम है? युवक ने अपना नाम 'आजाद' बताया। तुम्हारे पिता का नाम? 'स्वतंत्र' तुम्हारे घर का पता? मेरा घर 'जेलखाना' है।

बालक के इन उत्तरों को मजिस्ट्रेट को प्रथमतः आश्चर्य हुआ। उसने तत्काल चन्द्रशेखर को १५ बेटों की सजा सुनाई। प्रामाणिक रूप से बताया जाता है कि जब युवक चन्द्रशेखर के खुले बदन पर पानी में भीगी बेंत पड़ती



थी, तब प्रत्येक बेंत की मार पर वे जोर से नारे लगाते थे—इन्कलाब जिन्दाबाद, महात्मा गांधी की जय। यह देखकर पुलिसकर्मी भी बेंत मारते हुए थोड़ा ठिठक जाते थे। वहां से छूटकर इस युवक चन्द्रशेखर ने प्रतिज्ञा की कि—

दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे।

आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।।

इधर कतिपय हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने 'असहयोग आन्दोलन' एकाएक बन्द कर दिया। इससे युवा आन्दोलकारियों को बहुत ठेस पहुंची। युवक चन्द्रशेखर के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध आग भड़क रही थी। संयोगवश उनकी भेंट एक महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल से काशी में हो गई। आजाद तत्काल क्रांतिकारी दल में जो कि अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं करता था, सम्मिलित हो गए। इस दल को वे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जाल के समान फैला देना चाहते थे। किन्तु इस कार्य में एक बड़ी बाधा आ रही थी। हमारे शास्त्रों में ठीक ही कहा है—अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र-शस्त्रों को उपलब्ध करवाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। कहते हैं, एकबार चन्द्रशेखर ने बैंक लूटने का प्रयास किया किन्तु असफल रहे उन्होंने काशी में एक क्रांतिकारी पर्चा तैयार कर उसे अनेक स्थानों पर वितरित करा दिया। यह काम उन्होंने बहुत चतुराई से किया था। किन्तु यह पर्चा किसी तरह पुलिस दफ्तर तक पहुंच गया था।

परमात्मा की कृपा से इन अलौकिक महापुरुषों में कुछ न कुछ अलौकिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं हमारे चरित्र नायक चन्द्रशेखर 'आजाद' गोली चलाने में सिद्धहस्त थे। अपने मित्रों के अनुरोध पर उन्होंने पेड़ की टहनी

के एक बड़े पत्ते में पांच अलग-अलग छेद पिस्तौल की गोली से कर दिए थे। उनका निशाना अचूक होता था। आजाद को अपने क्रांतिकारी साथियों के खाने-पीने की हमेशा चिन्ता बनी रहती थी। इधर भाबरा (अलीराजपुर-झाबुआ) में उनके माता-पिता बहुत ही विपन्न अवस्था में दिन व्यतीत कर रहे थे। श्री गणेश शंकर जी विद्यार्थी को जब इस बात का पता चला,

दल छिन्न-भिन्न हो गया।

इतने पर भी चन्द्रशेखर आजाद तनिक भी निराश नहीं हुए वे महान् क्रांतिकारी युग पुरुष वीर सावरकर ने उन्हें ढाढस बंधया तथा क्रांतिकारी दल को पुर्नगठित करने का परामर्श दिया। वे अब पुनः संगठन में जुट गए। प्रसंगवशात् झांसी में उनकी भेंट भगत सिंह तथा राजगुरु से हुई। इतना ही नहीं, कुछ समय पश्चात् उनसे बंटुकेश्वर दत्त और अन्य

६ अप्रैल, १९२६ ई। को असेम्बली में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' प्रस्तुत होने वाला था। जिसके अनुसार भारतीय मजदूरों की हड़तालों पर स्थाई रोक लगाना था। इस अत्याचारी दमनात्मक बिल का विरोध करने के लिए भगतसिंह और बटेश्वर दत्त दिल्ली जा पहुंचे। यद्यपि इसमें आजाद भी सम्मिलित होना चाहते थे, किन्तु नीति के अनुसार इन्हें अलग रखकर संगठन कार्य करने के

अग्निशलाका पुरुष चन्द्रशेखर आजाद

मनुदेव 'अभय' विद्यावाचस्पति

तब उन्होंने कुछ रुपये आजाद को उनके माता-पिता को भेजने के लिए दिए। किन्तु अब तो आजाद का परिवार तो सम्पूर्ण राष्ट्र बन चुका था और क्रांतिकारी लोग इस राष्ट्र-परिवार के निकटतम सम्बंधी बन चुके थे। आजाद जी ने वह रकम क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल आदि खरीदने पर खर्च कर दिए। आजाद को अपने माता-पिता से पहले भारत को स्वतंत्र कराने वाले भारत माता पर मर मिटने वाले भारत-मां के पुत्रों की अधिक चिन्ता थी। उन्होंने यह राशि 'राष्ट्र देवो भवः कहकर' 'इदमं न मम' के भाव के अनुसार क्रांतिकारियों पर न्यौछावर कर दी। यह महान त्याग था, उस महान कर्मयोगी चन्द्रशेखर आजाद का।

रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से ६ अगस्त १९२५ को सरकारी खजाना लूटने के योजना बनाई गई। काकोरी रेलवे स्टेशन (उ.प्र.) में रेल रोकर सरकारी खजाना पिस्तौल के बल पर लूट लिया गया। अंग्रेजों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। काकोरी ट्रेन लूट-काण्ड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गये। परिणामतः रामप्रसाद जी 'बिस्मिल' तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुना दी गई। किन्तु सौभाग्य से चन्द्रशेखर आजाद को पुलिस न पकड़ सकी। इस भयंकर काण्ड एवं परिणाम के कारण क्रांतिकारी

अनेक क्रांतिकारी आ मिले। इस बार उन्होंने नये दल का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा। इसके पुनर्गठन की पृष्ठभूमि में वीर सावरकर की ही प्रेरणा कार्य कर रही थी।

अक्तूबर, १९२८ में साइमन कमीशन भारत आया इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज ही थे, इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। यह भारत का बड़ा भारी अपमान था। यह कमीशन बम्बई के पश्चात् जब लाहौर आया, तब रेलवे स्टेशन पर ही इसका विरोध करने के लिए शेर पंजाब, लाला लाजपत राय गए। अंग्रेज पुलिस ने लालाजी पर प्राणघातक आक्रमण किया। लाठी की गम्भीर चोटों के कारण लालाजी की मृत्यु हो गई। विरोध कर रहे जुलूस में भगतसिंह और राजगुरु भी थे। उन्होंने यह काण्ड स्वयं अपनी आंखों से देखा था।

भगतसिंह तथा राजगुरु ने यहां यह व्रत लिया कि लालाजी के हत्यारे पुलिस कप्तान सौंडर्स से बदला नहीं ले लेंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे। बस फिर क्या था, योजनानुसार इन दोनों वीरों ने 'खून का बदला' खून से लिया। भगतसिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु उसे निराशा हाथ लगी। भगतसिंह वेश बदलकर कलकत्ते चले गए। आजाद साधु के वेश में अलख निरंजन का नाद करते हुए लाहौर से गायब हो गए।

लिए हो गया। इन दोनों वीरों ने असेम्बली की दर्शकदीर्घा से अंग्रेजों की दमननीति का भण्डा फोड़ने वाले पर्चे फेंके तथा खाली बेचों पर बम फेंके। ये लोग असेम्बली से बाहर ही भागते हुए पकड़ लिए गए। इसके बाद राजगुरु, सुखदेव तथा यशपाल भी गिरफ्तार से बाहर ही रहे। इधर भगवती चरण वर्मा की बम फटने से अकाल मृत्यु हो गई थी। इन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला, अन्त में भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को २३ मार्च, १९३७ को फांसी दे दी गई। लार्ड डरविन ने गांधी जी को इसमें हस्तक्षेप कर उन्हें आजीवन कारावास कर देने के लिए कहा था। किन्तु गांधी जी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लार्ड डरविन भी गांधी जी की इस कठोरता पर तथा गजब की अहिंसा पर घृणा से उनकी ओर देख रहा था। उसका मत था कि यदि गांधी जी इसमें हस्तक्षेप करते तो इन वीरों को फांसी पर लटकने से बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन जानबूझकर २२ मार्च को ही समाप्त करवा दिया था, ताकि कांग्रेस में विद्रोह न हो। इस दुखद घटना के पश्चात् क्रांतिकारी दल पुनः छिन्न-भिन्न हो गया।

दल का धन व्यापारी के यहां रखा गया था। उस धन को लेने हेतु वे इलाहाबाद गए। ऐसे समय में उनके ही निकट के सहयोगी की देश

शेष पृष्ठ 11 पर

(पिछले अंक का शेष)

दारुल उलूम ने भी बर्क के ब्यान पर सहमति की मुहर लगा दी कि "सांसद बर्क ने कोई देश विरुद्ध कार्य नहीं किया है। बल्कि अपना मजहब निभाया है। इस मामले में संस्था ने वर्ष १९३० में वंदेमातरम के खिलाफ फतवा जारी किया था कि इस गीत के अशार (श्लोक) इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद (खुदा) नहीं मान सकता। इस गीत में जमीन की वंदना की गई है, उसे अल्लाह या ईश्वर को दर्जा दिया गया है, जो इस्लाम की भावना के विरुद्ध है।" (हिन्दुस्तान, मेरठ दिनांक १० मई, २०१३)

यह कैसी विडम्बना है कि मुस्लिमों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था दारुल उलूम बर्क की भाँति ही पृथ्वी की वन्दना को मुस्लिमों के धर्म विरुद्ध व घृणित कृत्य बता रही है। जबकि आश्चर्यजनक रूप से मुस्लिम मृत्यु उपरान्त इसी वन्दनीय पृथ्वी की गोद में विश्राम कर रहे हैं और यदि मुसलमान अपने पूर्वजों की मजार पर जाकर

इसका सिजदा कर रहे हैं, तो क्या यह पृथ्वी की वन्दना नहीं है? तो क्या दारुल उलूम कब्रों/मजारों की सिजदा के विरुद्ध भी फतवा जारी करेगा? यदि नहीं तो दारुल उलूम का कृत्य मात्र भारतीय मुसलमानों को गुमराह करना व देश में अराजकता व दुर्भाव की भावना पैदा करना है। इसी प्रकार नमाज भी एक प्रकार से पृथ्वी वंदना ही है। मुसलमान नमाज के वक्त पृथ्वी पर श्रद्धापूर्वक अपना माथा टेकते हैं, ना कि आकाश की ओर मुँह करते हैं, जबकि कुरान में बतलाया गया है कि अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है। अतः

व राष्ट्रगीत का बहिष्कार राष्ट्रदोह की परिधि में आता है। अतः बर्क को सांसद तो क्या भारतीय होने का भी अधिकार नहीं है।" इस



वन्दे मातरम् एण्ड इस्लाम

प्रो० ए०पी० सारस्वत

मुहम्मद ने भी पृथ्वी एवं मातृभूमि को भी ईश्वरीय रूप समझा है। हमारे उदार राष्ट्रवादी नेता श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने "बर्क के कृत्य को तालिबानी करार दिया है। संसद का अपमान

सम्बन्ध में हमारे पूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खान का यह कथन महत्वपूर्ण है कि "अरबी में मातृभूमि को मादर-ए-वतन कहा जाता है, मतलब माँ से है। फारसी में भी मातृभूमि की उपमा माँ से

द्वारा कराया जा सकता है।" (दैनिक जागरण, मेरठ, दिनांक १० मई, २०१३)

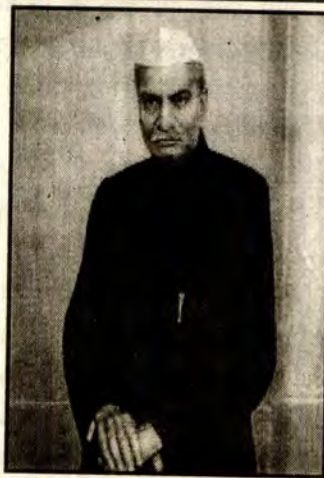
"हिन्दू धर्म व संस्कृति में राजधर्म एक मुख्य अंग है। महाभारत के अनुसार "सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता। सर्वे लोकाः राजधर्मे प्रविष्टाः सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधानाः।" यानी धर्म के सब तत्वों में राजधर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा राजधर्म ही करता है। वेद का सन्देश है "समृद्ध, तेजस्वी, विस्तृत, समान आचार संहिता वाले, सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण। वे जहाँ एक ओर राष्ट्र निर्माण, स्वराज्य रक्षा, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के लिये प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देते हैं, वहीं दूसरी ओर ज्ञात-अज्ञात,

सम्बन्धी-असम्बन्धी में विभेद किये बगैर देशद्रोहियों को समूल नष्ट करने का स्पष्ट आदेश देते हैं। अतः आज राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए राष्ट्रभक्तों के जीवन में राजधर्म को प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता है।" (डा० के० वी० पालीवाल, वेदों में राष्ट्रभक्ति, पृ० ५ व ६)

अतः मेरा अपने सभी भाईयों विशेषकर मुसलमान भाईयों से विनम्र निवेदन है कि श्री बर्क की भाँति दूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों का प्रबल विरोध करें तथा ऐसे विघटनकारी तत्वों व छद्म सेक्यूलरवादी धिम्मियों को राष्ट्रीय संस्थाओं में पहुँचने से रोकने का भरसक प्रयास करें, ताकि भारत आपसी भाई-चारे व खुशहाली के रास्ते पर चलकर प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। अतएव राष्ट्र-गीत के सम्मान एवं भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए सार्वजनिक समारोह आदि में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत को प्रमुखता दें।

लेखक ने विभिन्न प्रकाशित सामग्रियों को इकट्ठा करके लिपिबद्ध किया है, जिसका उद्देश्य दुष्प्रचार या निन्दा करना कतई नहीं है। बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सदुपयोग द्वारा सत्य का बोध कराना तथा घृणा व हानिकारक तत्वों/कथनों आदि का परित्याग द्वारा राष्ट्रभक्ति की भावना को जाग्रत करना ताकि विभिन्न भाषा व धर्म के लोग भ्रातृभाव से मिलजुल कर राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करें। क्योंकि राष्ट्र, भाषा और धर्म से बड़ा है। (शेष अगले अंक में)

राजेन्द्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उनका जीवन हमारा सार्वजनिक इतिहास है। वे सादगी, सेवा, त्याग और देशभक्ति के प्रतिमूर्ति थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आपको पूरी तरह से होम कर देने वाले राजेन्द्र बाबू अत्यन्त सरल और गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों से सामान्य व्यवहार रखते थे। लगभग ८० वर्षों के उनके प्रेरक जीवन के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दूसरे चरण को करीब से जानने का एक बेहतर माध्यम उनकी आत्मकथा है। डॉ. प्रसाद का जन्म ३ दिसम्बर, १८८४ को बिहार के एक छोटे से गाँव में जीरादेई में हुआ था। उनके पूर्वज संयुक्त प्रान्त के अमोढ़ा नाम की जगह से पहले बलिया और फिर बाद में सारन (बिहार) के जीरादेई आकर बसे थे। पिता महादेव सहाय की तीन बेटियाँ और दो बेटे थे, जिनमें से वे सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गाँव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। १८९६ में जब वे पाँचवी कक्षा में थे, तब बारह



वर्ष की उम्र में उनकी शादी राजवंशी देवी से हुई। आगे पढ़ाई के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र डालो जहाँ उनका दाखिला हो गया और ३० रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिलने लगी। उनके गाँव से पहली

एक महान और विनम्र राष्ट्रपति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

दिव्या आर्य

बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी। जो निश्चित ही राजेन्द्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। डिग्री पूरी की जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे जिससे इन्हें बहुत धन और नाम मिला। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। १९१७ में गाँधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से मिले और उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए। १९१९ में पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की लहर थी। गाँधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की। जिसके बाद डॉ. प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। चम्पारण आन्दोलन के दौरान राजेन्द्र प्रसाद गाँधी जी के वफादार साथी बन गए थे। गाँधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ आन्दोलन में भाग लिया। १९३१ में कांग्रेस ने आन्दोलन छेड़ दिया। इस दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। १९३४ में उनको बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए। १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। इस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नजरबन्द कर दिए गए। भले ही, १५ अगस्त, १९४७ को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था जिसके अध्यक्ष डॉ. प्रसाद चुने गए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉ. प्रसाद ने ही इसे मान्यता दी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक मेधावी छात्र, जाने-माने वकील, आन्दोलनकारी, सम्पादक, राष्ट्रीय नेता, तीन बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। २६ जनवरी, १९५० को भारत को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिल गया।

शेष पृष्ठ 11 पर

करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना।
बिना हुए निर्माण, राष्ट्र कल्याण नहीं होना।।
शस्य श्यामला सुजला सुफला, धरती के हम वासी।
फिर क्यों अपने महादेव की, जनता रहे उपासी।।
अन्न दान से भर दो, अपने घर का कोना-कोना।
सागर हमको देता, अपने दूत जलद गम्भीर।।
और हिमालय देता, हमको शीतल मन्द समीर।
गर्वान्त मस्तक रख कहता, कभी न विचलित होना।।
गंगा यमुना यहां बहती, हैं अमृत ही धारा।
ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी का, जल पय से प्यारा।।
पय की धारा से, धरती का सूखा भाग भिगोना।
यहां निर्बलों पर, सबलों का अत्याचार न हो।।
मनुज-मनुज के बीच, यहां कोई दीवार न हो।
असमानता यहां पर, माना जाय कलंकित होना।।
कोटि-कोटि का देश, देश में प्रजातन्त्र सुखदाई।
प्रजातन्त्र का काम, प्रजा की होती रहे भलाई।।
यहां एक घाट पीवें जल, सिंह और मृग छौना।
करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना।
बिना हुए निर्माण, राष्ट्र कल्याण नहीं होना।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव घोषणा-पत्र २०१७

हिन्दू महासभा का नारा है उत्तर प्रदेश अब हमारा है। जन-जन की यही पुकार हिन्दू महासभा अबकी बार

अखिल भारत हिन्दू महा सभा द्वारा २०१७ उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में आपके सहयोग से जीत हासिल कर सरकार बनने पर हमारे मुख्य प्राथमिकताएं होगी:-

१. धर्मनगरी अयोध्या में भव्य श्री राम मन्दिर का निर्माण कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा।
२. प्रदेश में समान नागरिक संहिता का निर्माण कराना जो निरपेक्ष होकर प्रत्येक नागरिक के लिये अनिवार्य हो। एक अविच्छिन्न समाज के नव निर्माण सभी घटकों में परस्पर समाजस्य के लिये हिन्दू महा सभा इसका सबल प्रयास करेगी।
३. उत्तर प्रदेश के उन मतदाताओं को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं बेरोजगार हैं या जिसका कोई आर्थिक साधन नहीं है चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के हैं उन सबको १५,००० रुपये उन्हें प्रदेश के विकास एवं समृद्धिआदि रचनात्मक कार्यों में लगने के शर्त पर मासिक वेतन दिया जायेगा एवं शिक्षा, चिकित्सा, पानी निःशुल्क दिया जायेगा।
४. नारी सम्मान, नारित्व उत्थान के आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा करना एवं महिलाओं को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान जनक प्रतिनिधित्व दिलाया जायेगा एवं महिला उत्पीड़न के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर महिला अदालत की स्थापना की जायेगी।
५. प्रदेश की सभी नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिये अलग से फंड जारी किया जायेगा।
६. प्रदेश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा जिसमें प्रदेश में रह रहे सभी व्यक्तियों के समान अधिकार तथा कर्तव्य होंगे।
७. पुलिस प्रशासन को नेताओं के दखल से मुक्त किया जायेगा तथा उनके लिये अलग से फंड की व्यवस्था कर पूर्ण आजादी से सच्चाई के साथ कार्य करने का अधिकार दिया जायेगा।
८. सब प्रकार की सामाजिक विषमता को दूर किया जायेगा। प्रदेश में हर प्रकार के आरक्षण को तत्काल समाप्त किया जायेगा तथा योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति की जायेगी।
९. प्रदेश को गुड़ा-गर्दी, भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जायेगा उसके लिए अलग से भ्रष्टाचार निरोधक सैल का गठन किया जायेगा।
१०. खेल कूद व्यायाम प्रशिक्षण योगाभ्यास अनिवार्य सैनिक शिक्षा तथा आधुनिक उपकरणों का

प्रदान तथा सभी वर्गों को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने की व्यवस्था की जायेगी।

१२. हरित क्रान्ति के समान दुग्ध क्रान्ति की व्यवस्था हेतु गायों की गौशाला राजकीय व वैवसायिक स्तर पर खुलवाया जायेगा पशुपालन के लिये अलग से ऋण की व्यवस्था शून्य प्रतिशत ब्याज पर की जायेगी।

१३. पूरे प्रदेश में गौ हत्या व पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा किसी भी जीव की भोजन हेतु हत्या करने वालों के खिलाफ धारा ३०२ व ३०७ आदि धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। जीव हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

१४. सभी मादक पदार्थों जैसे शराब, गुटका, तम्बाकू व सिगरेट आदि को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जायेगा।

१५. प्रत्येक ग्राम को सड़क विद्युत व पेय जल की व्यवस्था से जोड़ा जायेगा एवं ग्रामीण जीवन पर प्रदेश बजट का प्रचार प्रतिशत व्यय कर ग्राम व नागरिक स्तर के अन्तर को कम किया जायेगा।

१६. नगरों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव कम करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा।

१७. पर्यावरण की रक्षा हेतु आधिकाधिक वृक्षारोपण किया जायेगा वृक्ष मित्र योजना चलाई जायेगी। प्रत्येक नागरिक एक वृक्ष लगाये ऐसी सामाजिक चेतना का निर्माण किया जायेगा।

१८. कृषि अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाना तथा किसानों को आत्महत्या करने वाली परिस्थितियों से मुक्त किया जायेगा एवं बंजर भूमि व अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु वैज्ञानिक उपायों के आधार पर विकसित किया जायेगा।

१९. कृषि को उद्योग घोषित किया जायेगा फसल बीमा योजना लागू की जायेगी तथा गन्ने का एंडवास भुगतान करना अनिवार्य किया जायेगा। किसानों की समस्या के समाधान हेतु प्रदेश स्तरीय आयोग का गठन किया जायेगा।

२०. बाढ़ व सूखे से निपटने के लिये वैकल्पिक उपायों का अनुसरण किया जायेगा साथ ही हर जिले में बाढ़ व सूखे से निपटने के लिये अलग अधिकारी, सैलद्ध का गठन किया जायेगा।

२१. कपड़ा खाद्य सामग्री व पेय पदार्थों का निर्माण अधिकतम स्वदेशी हाथों में सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रदेश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व रोका जायेगा।

२२. हर जिले में एक एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल खोले जायेंगे।

२३. राजकीय, अराजकीय व सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उन्मुलन किया जायेगा। राज कोष के आयोग को पारदर्शी बनाया जायेगा। योजना व्यय को सार्वजनिक किया जायेगा।

२४. प्रदेश के राजनेताओं, प्रशासकों, व्यवसायिकों व अन्य के काले धन को कानूनी योजनानुसार प्रदेश की सम्पत्ति घोषित कर उसे प्रदेश के विकास में लगाया जायेगा।

२५. राजकोष व सार्वजनिक धन के घोटालों में लिप्त राजनेताओं को चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित किया जायेगा। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त कर सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जायेगा।

२६. प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द के लिये आवश्यक है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मन्दिर आदि धर्म स्थलों को विदेशी आक्रान्ताओं ने भ्रष्ट या नष्ट किया है उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया जायेगा।

२७. काशी विश्व नाथ मन्दिर तथा मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि को दिव्य रूप दिया जायेगा एवं सभी प्रकार के मठ मन्दिर आश्रमों व धार्मिक नगरियों के सौन्दर्यकरण तथा विकास पर बल दिया जायेगा।

२८. सभी सम्प्रदाय व सन्तो, धार्मिक प्रतिनिधियों, पूजा पाठ में लगे ब्राह्मणों व समाजसेवियों एवं समान अवसर प्रदेश में समाज हेतु विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रदेश में यात्रा हेतु पास दिया जायेगा।

२९. चार धाम यात्रा करने वालों को प्रदेश की ओर से सहायता कोष जारी होगा और पचास प्रतिशत सम्मान व सुरक्षा सन्निधि दी जायेगी।

जिला बुलन्दशहर से अखिल भारत हिन्दू महासभा को प्राप्त दान सूची मास जनवरी २०१७

1.	डा० गिरीश चन्द्र गुप्त १२३, देवी पुरा-२ (कृष्ण नगर) बुलन्दशहर (७५ वें जन्म दिवस पर दान)	501/-
2.	दीपक प्रोविजन स्टोर, टीचर्स कॉलोनी बुलन्दशहर (दान)	100/-
3.	आई० डी० गुलाटी, बुलन्दशहर (हकीकत राय बलिदान दिवस पर हिन्दू महासभा को दान)	500/-
4.	वेद प्रकाश अग्रवाल, शीरे वाले, १८/१८१, टीचर्स कॉलोनी, बुलन्दशहर-२०३००१	5100/-

टोटल 6201/-

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

जिला बुलन्दशहर से हिन्दू सभा वार्ता का

शुल्क मास जनवरी २०१७

1.	यशपाल सोलंकी १५/८६६, आदर्श नगर स्टेशन वाली गली बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	150/-
2.	दर्पण टाइम्स ४/१६४, ललिता पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-११००६२ (वार्षिक)	150/-
3.	आर्य समाज मन्दिर बदायूँ (उ० प्र०) (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	150/-
4.	आर्य समाज मन्दिर, टाऊन हाल रोड शाहजहाँपुर (उ० प्र०) (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	150/-
5.	आर्य समाज मन्दिर, बिहारीपुर, बरेली (उ० प्र०) (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	150/-
6.	रणजीत कुमार झा द्वारा एसडी पेन्ट्स लि० ११८७/२, कृष्ण नगर, डी० पी० एस० के सामने, मेरठ रोड, गाजियाबाद-२०१००३ (वार्षिक)	150/-
7.	एस० एस० शर्मा, फूड इन्सपेक्टर १५६/१७, टीचर्स कॉलोनी, बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१७-१८)	150/-
8.	जगन्नाथ एण्ड सन्स, चौक बाजार बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१७-१८)	150/-
9.	राधे श्याम गुप्ता, १२७/१७, टीचर्स कॉलोनी बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	000
10.	यू० डी० शर्मा, टीचर्स कॉलोनी निकट शिव शक्ति मन्दिर, बुलन्दशहर-२०३००१ (नवीनीकरण शुल्क २०१७-१८)	150/-
11.	चन्द्रभान सिंह एडवोकेट कलक्ट्रेट, बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१७-१८)	000
12.	आलोक बेजान, बुलन्दशहर (नवीनीकरण शुल्क २०१६७१७)	000
13.	प्रोफेसर राम सिंह रमदा, हलद्वानी (नवीनीकरण शुल्क २०१६-१७)	000

टोटल 1350/-

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

३०. समान शिक्षा लागू करना एवं शिक्षा के साथ छात्रों के जीवन में राष्ट्रीय भक्ति के संस्कार निर्माण किया जायेगा। सादा जीवन उच्च विचार एवं ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जायेगा।

३१. मातृ भूमि की सेवा में कर्तव्य निष्ठ समर्पण के भाव से सम्पन्न उत्तरदायी नागरिक निर्माण करने हेतु विद्यालयों की सशक्त माध्यम के रूप में संचालित करने की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदेश में १०० नए डिग्री कालिज छात्रावास की सुविधा के साथ खोला जायेगा।

३२. कार सेवा में शहीद हुए हिन्दू वीरों के परिवारों को सरकारी नौकरी व आजीवन पेंशन दी जायेगी।

ॐ कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं ॐ

प्रति,

श्री नरेश कुमार जी,

आई.ए.एस, अध्यक्ष

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

विषय - डलहौजी रोड का नाम बदलने के निर्णय का स्वागत तथा बाबर, हुमायूं एवं शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग।

महोदय,

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा लार्ड डलहौजी रोड का नाम बदलने के निर्णय का स्वागत करता हूं। अंग्रेज गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी ने भारतीयों का गंभीर शोषण किया था। उसने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर घोर यातनाएं दी थीं एवं भारतीय संपत्ति की लूट के लिये जिम्मेदार था। इसलिये इस आतातायी के नाम पर सड़क का नाम अत्यंत ही पीड़ादायक था। हिन्दू महासभा परिषद के इस निर्णय का समर्थन करती है। साथ-ही-साथ हमारी मांग है कि हिन्दुओं पर घोर यातनाएं करने वाले, करोड़ों हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले, लाखों हिन्दुओं की हत्या कराने वाले, हिन्दू स्त्रियों का अपमान करने वाले व हजारों हिन्दू मंदिरों को तोड़ने वाले मुगल शासक बाबर, हुमायूं व शाहजहां के नाम पर रखे गये सड़कों का नाम बदलकर वीर सावरकर, पं० मदन मोहन मालवीय, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द सिंह, डा. भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय आदि के नाम पर रखे जायें। इससे भारतीय संस्कृति व हिन्दू इतिहास का गौरव बढ़ेगा।

सादर

भवदीय

चन्द्रप्रकाश कौशिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुन्ना कुमार शर्मा
राष्ट्रीय महासचिव

वीरेश त्यागी
राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

देशद्रोहियों व भ्रष्टाचारियों को सबक सिखायें मुख्यमंत्री शिवराज, मध्यप्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो-हिन्दू महासभा

मध्यप्रदेश के दतिया के दौरे पर आये अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उनके साथ मध्यप्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, ग्वालियर जिलाध्यक्ष लीला शाक्य, दतिया जिला संयोजक रमेश सैन, राकेश शर्मा, गिरिवर पाल, कल्लू पंडित, शतरंज सोनी भी उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार व देशद्रोह बढ़ता जा रहा है। व्यापम घोटाला, खनन घोटाला आदि के कारण प्रदेश बदनाम हो रहा है। अब तो भाजपा के कार्यकर्ता आई एस आई एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो भ्रष्टाचारियों व देशद्रोहियों पर कड़ी कार्रवाई करें, या अपने पद से त्याग पत्र दें। श्री शर्मा ने घोषणा किया है कि प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार, देशद्रोह की बढ़ती घटनाओं एवं शराब की खुलेआम बिक्री के विरुद्ध अखिल भारत हिन्दू महासभा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा कि अखिल भारत हिन्दू महासभा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूती से भाग लेगी। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल वर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हिन्दू महासभा एक मजबूत संगठन खड़ा कर देगी। हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दतिया स्थित मां पीताम्बरा देवी मंदिर का दर्शन किया तथा कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

शेष पृष्ठ 5 का वीर सावरकर का माफीनामा.....

वाले क्रूर व्यवहार संबंधी समाचारों ने देश में खलबली मचा दी। हिन्दुस्तान सरकार ने अंडमान कारागार और बस्ती के सुधार के लिए निरीक्षण करने हेतु कमीशन को भेजा। इस जाँच आयोग ने सावरकर से बातचीत कर तीन चार बंदियों के प्रार्थना पत्र भी मंगवाए। सावरकर ने अपने आवेदन में जेल प्रशासन में परिवर्तन का सुझाव देते हुए जो तर्क दिए थे उससे तो जेल कमीशन के सदस्य प्रभावित हुए, किन्तु उनकी स्पष्टोक्ति कि यदि सुधार सफल होंगे तथा क्रान्तिकारियों को समाधान होगा, तभी वे अपना पुराना रवैया छोड़कर शान्ति के पथ को अपनाएँगे, उन्हें पसंद नहीं आई। इसी समय भारत में राजनैतिक बंदियों की रिहाई की जोरदार माँग उठाई गई।

बम्बई की नेशनल यूनियन ने राजबंदियों की रिहाई की माँग को लेकर ७० हजार लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन हिन्दुस्तान सरकार को भेजा। गाँव-गाँव और शहर-शहर में राजनैतिक बंदियों और क्रान्तिकारियों के प्रति लोगों में सहानुभूति उमड़ी। महिलाएँ भी घरों से निकलकर घर-घर जाकर मुक्ति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने लगीं तथा पेंपलेट बाँटने लगीं।

एक वह भी समय था जब राजनैतिक बंदी शब्द को आतंक का प्रतीक माना जाता था। बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता भी क्रान्तिकारियों को पथभ्रष्ट व हत्यारे तक मानते थे। किन्तु अब समाज में उनके प्रति श्रद्धा और सहानुभूति पैदा हो चुकी थी। सावरकर ने नेशनल कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया। इस ज्ञापन का प्रभाव पड़ा तथा कुछ ही दिन बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि प्रत्येक राजबंदी को राजक्षमा प्रदान कर मुक्त किया जाएगा। तार अंडमान पहुँचा तो उसमें लिखा था—सार्वजनिक शांति के समर्थक राजनैतिक बंदी ही मुक्त होंगे। अतः स्पष्ट था कि सावरकर बंधु तथा अन्य गरम विचारों के राजबंदियों की मुक्ति संभव नहीं है। सरकार किसी भी अवस्था में सावरकर बंधुओं को रिहा करने के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली की लेजिस्लेटिव कौंसिल में इनकी मुक्ति की माँग उठाई गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सावरकर बंधुओं तथा पंजाब के श्री बग्गा व श्री रतन चौधरी को अविलम्ब मुक्त किए जाने की प्रबल माँग उठाई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सावरकर को कोठरी से मुक्त कर जेल के आँगन में आने की अनुमति मिली। कारागार के दसवें वर्ष में सावरकर ने एक और आवेदन—पत्र लिखा कि दस वर्ष हो रहे हैं, मुझे कम से कम टिकट पर बाहर जाने की तथा स्वतंत्रता से बैठने की तो अनुमति दी जाए। उत्तर आया दस वर्षों में अभी कई दिन बाकी हैं, अतः नियमानुसार अनुमति नहीं दी जा सकती। दस वर्ष पार होने पर भी सावरकर को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मार्च १९२१ के.वी. रंगास्वामी आयरंगर ने कौंसिल में एक प्रस्ताव रखकर कौंसिल के गवर्नर जनरल से प्रार्थना की कि वे सावरकर के विषय में विचार करें। इस प्रस्ताव पर बहुत तर्क-वितर्क और वाद-विवाद हुआ। फिर भी दोनों भाइयों के वहाँ से स्थानान्तरण के आदेश ही दिए गए, उन्हें मुक्त नहीं किया गया। हयात खाँ और नवाब सर बहराम खाँ ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए कहा कि २ मई १९२१ के दिन दोनों सावरकर बंधुओं (विनायक सावरकर व गणेश सावरकर) को भारत लाने के लिए महाराजा नामक जलपोत पर चढ़ाया गया। १४ वर्ष बाद दोनों भाई पहली बार रात को एक साथ सोए थे। पाँच दिन बाद जलपोत कलकत्ता के तट पर पहुँचा। सावरकर बंधुओं को तत्काल अलीपुर कारागार में ले जाया गया। जेल के फाटक के अंदर घुसते ही दोनों भाइयों को अलग-अलग गली में मोड़ दिया गया। आठ दिन बाद बड़े भाई गणेश सावरकर को बीजापुर की जेल में भेज दिया गया और सावरकर को रत्नागिरि में। सावरकर भाई के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। दूध मिलना बंद होने तथा अधकच्ची ज्वार की रोटियाँ खाने से सावरकर का स्वास्थ्य चौपट हो गया। अंडमान में बड़े प्रयत्नों से प्राप्त लेखन अध्ययन व श्रम से मुक्ति की सुविधाएँ छिन जाने से वे मरणासन्न अवस्था को पहुँच गए।

पुनः निराशा ने आक्रमण किया और आत्महत्या का विचार जगा, पर चिंतन-मनन से विवेक जागृत होकर नवजीवन मिला। कर्तव्य पथ पर डटे रहने की शक्ति मिली। माझी जन्मठेप अर्थात् आजीवन कारावास लिखने की शुरुआत यहीं से हुई। ज्येष्ठ बंधु की हालत चिन्ताजनक थी। नारायण सावरकर को पता चला, तो उन्होंने बाबाराव (गणेश सावरकर) के मिलने की अनुमति माँगी। उन्हें इस शर्त पर अनुमति दी गई कि वह खादी की पोशाक की जगह दूसरे कपड़े पहनकर कारागार जाएँ। नारायण ने इस अपमानजनक शर्त को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राज्यपाल के पास मामला पहुँचाया तब शर्त हटी। वे खादी के कपड़े पहने हुए ही ज्येष्ठ बंधु से मिले। बाबाराव को बीजापुर कारागार की अंधेरी सीलन युक्त तथा एकांत कोठरी में रखा गया था। इसका उनके मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ा। बंधु ने देखा कि बाबा एक प्रकार से मरणासन्न हैं। माँग किए जाने पर उन्हें अहमदाबाद की कारागार में भेज दिया गया। वहाँ एकांतवास से तो मुक्ति मिली, पर टी.बी. की समुचित चिकित्सा नहीं कराई गई। अंत में उनका शरीर पूरी तरह जवाब देता गया। सावरकर को आशंका घेरे रहने लगी कि न जाने बाबा जीवित भी हैं या नहीं। सितम्बर १९२२ में उन्हें कहीं से समाचार मिला कि बाबाराव सावरकर को मुक्त कर दिया गया है। यह सुनकर सावरकर को असीम प्रसन्नता हुई। पर जब पता चला कि उन्हें बेहोशी की दशा में मुक्त किया गया है तो उनके दुःख की सीमा नहीं रही। बेहोशी की दशा में बाबाराव को घर लाया गया था। सरकार ने शायद उन्हें मृत्यु के किनारे लगा जानकर अन्त्येष्टि का खर्च बचाने के लिए मुक्त किया होगा? यह मुक्ति न थी पुनर्जन्म था।

२ वर्ष बाद रत्नागिरि जेल से सावरकर को यरवदा कारागार में स्थानान्तरित कर दिया गया। उन्हें सबसे अलग रखा और अब भी उसी प्रकार की यातनाएँ दी जाती रहीं। गाँधी जी के असहयोग आंदोलन के बंदी भी यरवदा जेल में थे। वे क्रान्तिकारी, राष्ट्र योद्धा, गुप्त षड्यंत्री, हिंसक, हत्यारे, पापी तथा न जाने क्या-क्या समझे जाते थे। हिन्दू संगठन का कार्य भी इनकी दृष्टि में राष्ट्र-घातक तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता में बाधक था। सावरकर ने तर्क देकर अहिंसा, हिन्दू मुस्लिम एकता, खिलाफत आदि विषयों पर उनकी विकृत धारणाओं का खंडन किया। अधिकांश गाँधीवादी युवक क्रान्तिकारियों के मार्ग को उपयुक्त मानने लगे। सावरकर के समय अंडमान में सुपरिटेण्डेंट पद पर नियुक्त मेजर मुर्रे को पंजाबी विभाग का अध्यक्ष बनाकर यरवदा जेल में स्थानान्तरित कर दिया। वह उदार व सावरकर का परिचित था। उसने सावरकर को कोठरी से निकाल विनीन के बिक्री केन्द्र पर नियुक्त कर दिया तथा फैक्ट्री के कर्मचारियों को पढ़ाने की अनुमति दे दी। उसने एक दिन सावरकर से पूछा यदि आपको मुक्त कर दिया जाए तो क्या करोगे? सावरकर ने कहा कि जिस परिस्थिति में मुझे मुक्त किया जाएगा, उसी के अनुरूप आगे का निर्णय करूँगा। यदि राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो समाज सेवा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य कर मातृभूमि की सेवा करूँगा। यदि बिना शर्त मुक्त किया गया तो राजनीति में सक्रिय हो सकता हूँ।

शेष पृष्ठ 8 का एक महान और विनम्र राष्ट्रपति....

१९६२ में ही अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और जन सेवा कर जीवन व्यतीत करने लगे। १९६२ में अपनी राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से नवाजा गया। २८ फरवरी, १९६३ में डॉ. प्रसाद का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएँ हैं, जो यह प्रमाणित करती हैं कि राजेन्द्र प्रसाद बड़े दयालु और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारतीय राजनैतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। १९२१ से १९४६ के दौरान राजनीतिक सक्रियता के दिनों में राजेन्द्र प्रसाद पटना स्थित बिहार विद्यापीठ भवन में रहे थे। मरणोपरान्त उसे "राजेन्द्र प्रसाद संग्रहालय" बना दिया गया।

शेष पृष्ठ 1 का हिन्दू महासभा अखंड हिन्दू....

कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। व्यापार, खनन आदि घोटालों के माध्यम से प्रदेश खोखला हो रहा है। प्रदेश के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब तो भाजपा के कार्यकर्ता आई एस आई का एजेंट बनकर देश की गुप्त सूचनाएँ दुश्मन नम्बर एक पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा है। परन्तु प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज चौहान इन भ्रष्टाचारियों व देशद्रोहियों का संरक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में शराब की खुलेआम बिक्री से परिवार टूट रहा है। परिवार बर्बाद हो रहा है। मध्यप्रदेश की शिवराज चौहान के विरुद्ध अखिल भारत हिन्दू महासभा का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि प्रदेश से भ्रष्टाचार व देशद्रोह समाप्त नहीं हो जायेगा तथा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो जायेगा। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा कि हिन्दू महासभा अखंड हिन्दू राष्ट्र की स्थापना व हिन्दू, हिन्दी तथा हिन्दुस्थान के विकास के लिये कटिबद्ध है। हिन्दू महासभा हिन्दू हितों के लिये लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, ग्वालियर जिलाध्यक्ष, लीला शाक्य, गिरवर पाल, कल्लू पंडित, मनोज शर्मा, राकेश शर्मा, आदि ने आमसभा को संबोधित किया।

शेष पृष्ठ 1 का पठानकोट के बामियाल में बीएसएफ....

प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट नहीं कर दिया जायेगा। तब तक सीमा पार घुसपैठ को रोकना नहीं जा सकता है। हिन्दू महासभा नेताओं ने कहा है कि सांकेतिक सर्जिकल स्ट्राइक करारकर स्वयं पीठ थपथपाने ये आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है।

शेष पृष्ठ 6 का सुन्नी या वहाबी इस्लाम का.....

पहले देश में थी। हर बड़े रिजार्ट, होटल या शॉपिंग मॉल को अपने सार्वजनिक भोजन कक्ष या 'फूड कोर्ट' में बड़े अक्षरों में दिखाना होगा कि "यहाँ हलाल मांस मिलता है। या नहीं मिलता है।" "रमजान के माह में मारवाड़ी, जैन व हिन्दुओं की दुकानों से कोई खाद्य पदार्थ न खरीदें।" मुस्लिम तंजीमें (संस्थाएँ) या स्वयं देवबन्द के इमाम उन पर कोई टिप्पणी न कर उन्हें बढ़ावा देते हैं। मुस्लिम पर्वों पर सारी रात सैकड़ों-हजारों बाइकसवारों का रात भर ट्रैफिक नियमों को तोड़कर उन्हें दौड़ाने पर मुम्बई व दिल्ली में एक भी व्यक्ति हिरासत में नहीं रखा गया। उलटा सर्वोच्च पुलिस अधिकारी इन संवेदनशील मुद्दों पर सौजन्य से वार्तालाप करने के लिए बाद तक आमंत्रित करते रहे। रमजान का सुकून व पवित्रता तभी संभव है, जब मुसलमान कारोबारियों से सामान खरीदा जाए। हमारे देश में जहाँ अब तक अल्पसंख्यकों की परिभाषा विवादग्रस्त और इसे संविधान भी व्याख्यायित नहीं कर सका है चाहे दारुल उलूम, नदवतुल उलूम की 'दीनी तालीम' हो चाहे दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया का मुस्लिम धुवीकरण हो, यह सच है कि मदरसों की संख्या देश में पिछले दो दशकों में दस गुना बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश व बिहार या पूर्व में सिलीगुड़ी गलियारे से लगे क्षेत्र की आज यह हालत है कि वहाँ के मदरसे भारत के राष्ट्र जीवन, संविधान और मौलिक राष्ट्रीय ढाँचे को ही उलटने वाली शिक्षा दे रहे हैं। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सेना के जनरल, अनेक मुख्यमंत्री रह चुके हैं; पर उसके बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की कहानियाँ दुनिया के लिए मुस्लिम मदरसे गढ़ते हैं, यह वस्तुतः एक गंभीर चिंता का विषय है। क्या हम आज इस्लामी जनसांख्यिक टाइम-बमों की टिक-टिक सुन पा रहे हैं? जब भारत का १९४७ में विभाजन हुआ था, पाकिस्तान में हिन्दू २४ प्रतिशत थे, जो आज एक प्रतिशत भी नहीं हैं। सन् १९४७ में ही पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू ३० प्रतिशत थे, जो आज ७ प्रतिशत हैं। वे हिन्दू कहाँ लुप्त हो गये? क्या कोई समाजशास्त्री बताएगा? क्या हिन्दुओं के मानवाधिकार नहीं होते? दूसरी ओर मुस्लिम जनसंख्या १९५१ में १०.४० प्रतिशत थी, जो १८ प्रतिशत हो चुकी है। क्या यह हम कभी समझ पायेंगे?

शेष पृष्ठ 7 का अग्निशालाका पुरुष.....

द्रोहिता के कारण आजाद जी संकट में फंस गए। बिसेसर नामक इस देश द्रोही ने पुलिस का मुखबिर बन कर नाट बाबर जो कि वहाँ का पुलिस अधीक्षक था, को सूचना दे दी कि आज 'अल्फ्रेड पार्क' में आजाद अपने मित्र के साथ वहाँ मिलेंगे। बम, सूचना-मिलते ही नॉट बाबर अपने दल-बल के साथ अल्फ्रेड पार्क (सम्प्रति चन्द्रशेखर आजाद पार्क) पहुंच गया। आजाद जी को इस विश्वासघात की भनक लग गई और उन्होंने फुर्ती से अपने सहयोगी को पार्क से बाहर खिसक जाने के लिए कहा। वह वहाँ से चला गया। वे अब अकेले ही पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, धाय-धाय कर दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। आजाद ने अपनी अचूक निशानेबाजी से अनेक पुलिस वालों को ढेर कर लिया इधर उन्होंने भी एक वट वृक्ष की आड़ ले ली फिर भी उन्हें चार गोलियां लग गईं। पुलिस उन्हें जीवित पकड़ना चाहती थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे जिन्दा रहते हुए पुलिस की पकड़ में नहीं आयेंगे। जब उनी पिस्तौल में अंतिम गोली रह गई, तब उन्होंने उस अंतिम गोली अपनी कपनटी में मार ली। यह दुभाग्यपूर्ण दिवस २७ फरवरी, १९३१ का प्रातः साढ़े दस बजे का था। अंग्रेज आजाद से इतने डरे हुए थे कि उन्हें पूरा मरा हुआ जानने के लिए उसे मृत शरीर पर गोली मारी। जब मृत शरीर में हलचल न हुई तब पुलिस उनके शव के पास जाने का साहस जुटा पाई।

जिस वटवृक्ष के नीचे आजाद का यह महान बलिदान हुआ था उसे आज भी वहाँ की महिलाएं हल्दी कंकू तथा सूत के धागे लपेट कर उसकी पूजा प्रतिवर्ष करती हैं। इन पंक्तियों के लेखक को भी उस वट वृक्ष के नीचे पड़ी धूल को सिर पर रख कर उस महान वीर को प्रणाम करने का दो बार स्वर्ण अवसर मिल चुका है। इस प्रकार चन्द्रशेखर आजाद इस देश के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। उन्हें बारम्बार प्रणाम।

रचना प्रभु की

कितना सुन्दर नभ दिखता
देखो लालिमा लेकर अरुण
निकला
पक्षियों ने भी चहकना प्रारम्भ
किया
चहक-चहक कर दे रहे
धन्यवाद प्रभु का
बह रही सुन्दर पवन।
मधुर गीत गा रहा सरिता का
जल
गुणगान कर रहा धरा पर
समस्त उपवन
देख प्रभु की रचना हो रहा
प्रसन्न मन।

पीयूष अरोड़ा

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथक्तावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामूलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिले।

केवल इतना ही नहीं, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।
आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक.....	150/- रुपये
द्विवार्षिक.....	300/- रुपये
आजीवन सदस्य.....	1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर

"हिन्दू सभा वार्ता" के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

दिनांक 01 मार्च से 07 मार्च 2017 तक

साप्ताहिक व्रत-पर्व

पर्व	तिथि	दिन
चतुर्थी	02 मार्च	वीरवार
अष्टमी	05 मार्च	रविवार
दशमी	07 मार्च	मंगलवार

यह भी सच है

उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विनम्र निवेदन

राज्य की विधान सभा के ४०३ विधायक चुनने के लिए सात चरणों में ११ फरवरी से ८ मार्च तक मतदान होगा। यदि मतदाता जागरूक है तो अच्छे-भले प्रत्याशी सफल हो सकते हैं तब उसे अच्छी सरकार मिल सकती है अन्यथा अपराधी-चरित्रहीन-दबंग प्रवृत्ति के प्रत्याशी अधिक संख्या में सफल हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक दल के प्रत्याशियों में लगभग ३५ प्रतिशत प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर कई-कई पुलिस केस चल रहे हैं।

कृपया वोट मांगने वाले प्रत्याशियों से निम्न महत्व पूर्ण कार्यों को कराने का आश्वासन लें-

१. राज्य के २१ जिलों को भी, २० प्रतिशत संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल घोषित किया हुआ है जो कि कतई सही नहीं है। जनता को धर्म के आधार पर क्यों बांटा गया है? विधान सभा प्रस्ताव पारित करके केन्द्रीय सरकार से मांग करे कि सभी जिले सामान्य ही होने चाहिए। अतः वह आवश्यक कार्रवाई करे।

२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ५ शाखाएँ क्यों खोली जा रही हैं? इस विश्वविद्यालय के छात्र अपनी अलग पहचान रखना चाहते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर रहना पसन्द करते हैं। १९४७ में देश विभाजन की गतिविधियों का यह मुख्य केन्द्र रहा था। देश के नेता फिर गलतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तुष्टीकरण चरम सीमा पर है और बुद्धिजीवी मूक दर्शक बने हुए हैं। राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके मांग करें कि पाँचों शाखाओं का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय रखा जाए ताकि वहाँ के छात्र राष्ट्रवादी सोच के बनें। उर्दू को अनिवार्य न रखा जाए क्योंकि वह तो पाकिस्तान की राष्ट्र भाषा है। भारत विभाजन का श्रेय उर्दू को ही है।

३. लूटमार, वाहन चोरी, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गैंगरेप, यौन शोषण की निन्दनीय घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान सजा व जुर्माने की राशि को चौगुना किया जाए। छोटी-२ लड़कियों से रेप करना बहुत निन्दनीय है। उनका निर्भय होकर स्कूल, कालेज, बाजार जाना सुरक्षित नहीं है। नव रात्रियों में तो कन्याओं का पूजन किया जाता है।

४. रामपुर विश्वविद्यालय का नाम मौहम्मद अली जौहर रखना गलत है क्योंकि उन्होंने ही जिन्ना से कहा था कि बटवारा अवश्य होना चाहिए और केरल में मोपला विद्रोहियों का खुलकर समर्थन किया था। उसका नाम बदला जाए।

५. सभी विभागों में स्टाफ कम है। नौजवानों की बेरोजगारी कम करने के लिए भरतियाँ शुरू की जाएँ।

६. चीन की भाँति अनिवार्य परिवार नियोजन शुरू किया जाए। इसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यह विषय समवर्ती सूची की धारा २० के अन्तर्गत आता है। उत्तर प्रदेश को इसे लागू करके अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

७. धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था में किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करना पूरी तरह से गलत है। यह संविधान की मूल भावना के अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद २६ व ३० को हटाया जाए या सभी पर लागू किया जाए।

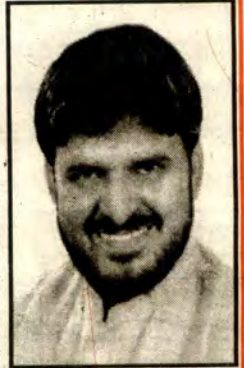
अतः जागिए और जगाइए और राज्य को अहिन्दूकरण-इस्लामीकरण और ईसाईकरण होने से बचाइए।

स्मरण रखें कि कुछ वर्ष पूर्व इलाहाबाद में कुम्भ का मेला लगा था जिसमें एक करोड़ लोग आए थे। सपा सरकार को इसका प्रभारी धर्मार्थ कार्यमंत्री विजय मिश्र को बनाना चाहिए था लेकिन उसने शहरी विकास मंत्री मौ० आजम ख़ाँ को बनाया था किन्तु एक ने जो आपत्ति या विरोध नहीं किया था। यह हमारे मृत प्रायः समाज का जीता जागता उदाहरण है। सोचिए!

सावरकरवाद प्रचार सभा, बुलन्दशहर

कबिरा खड़ा बजार में

तकनीकी सुरक्षा पर शून्य सरकार



भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। माहौल ऐसा बनाया जा चुका है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब डिजिटल क्रांति से ही देश की नैया पार लगेगी। बेशक दुनिया के साथ कदमताल करने के लिए तकनीकी विकास खासकर जरूरी है। पर तकनीकी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कदम न फिसलें ऐसी सावधानी भी बरतनी होगी। खेद है कि भारत में तकनीकी क्रांति और तकनीकी सुरक्षा के बीच अब भी गहरी खाई बनी हुई है, जिसका प्रमाण है डिजिटल ठगी और साइबर क्राइम के नित नए मामले। फेसबुक पर दोस्ती और प्यार के नाम पर धोखाधड़ी, लड़कियों के एकाउंट हैक कर उन्हें परेशान करना, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़खानी कर ब्लैकमेल करना, ऐसे दर्जनों अपराध आए दिन होते रहते हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट हैक हुए थे। हाल ही में समाचार एजेंसी पीटीआई और इंडिगो एयरलाइन्स के ट्विटर एकाउंट हैक किए गए। विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल प्रणाली से भुगतान को बढ़ावा देने में सरकार लगी हुई है जबकि साइबर विशेषज्ञों की यह फिक्र अपनी जगह कायम है कि प्लास्टिक मनी से चोरी को सरकार कैसे रोकेंगी। महज चंद सेंकड में किसी के कार्ड को हैक कर बैंक का विस्तृत विवरण आसानी से हासिल किया जा सकता है। साइबर अपराध में दंड के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन ऐसे अपराधों को समझने, पकड़ने और रोकने में दक्ष लोग और तकनीकें हमारे पास नहीं हैं, यही कारण है कि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके से साइबर अपराध सामने आ रहे हैं। घर बैठे कुछ वेबसाइट लिंक्स पर क्लिक करें और बदले में अच्छे पैसे कमाएँ, कुछ इस तरह कं लालच के साथ एक आनलाइन कंपनी ने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और सैंटीस सौ करोड़ रुपये की ठगी कर ली। कंपनी ने लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का झांसा देकर अपने साथ जोड़ा। कंपनी अपने निवेशकों को ५,७५० रुपये से लेकर ५७,५०० रुपये तक के पैकेज देती थी। बदले में निवेशकों को रोजाना पैकेज के मुताबिक २५ से १२५ वेब लिंक मिलते थे। उन लिंक्स पर क्लिक करना होता था, जिस पर वेबपेज खुलता था, जो करीब ३ सेंकड बाद बंद हो जाता था। कंपनी हर क्लिक के ५ रुपये देती थी। इस ठगी के शिकार कुछ लोगों के मुताबिक भुगतान शुरुआत में रोज होता था, बाद में हफ्ते में एक बार होने लगा। कंपनी ने पैसा जमा करवाने और लोगों को भुगतान करने के लिए भी एक्सेस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कैनरा बैंक में अपना खाता खोला था। ठाणे की तरह यहाँ भी ठगी की भनक तब लगी, जब लाखों निवेशकों का पैसा फंस चुका था। क्या देश में कार्यरत तरह-तरह की जांच एजेंसियों में से किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि एक कंपनी ने इतने बैंकों में अपना खाता खोला है और इतनी तेजी से उन खातों में रकम जमा हो रही है। वेबसाइट्स के नाम बदलना आसान है, पर क्या साइबर अपराधों के निगरानीकर्ताओं का माथा इस बात पर नहीं ठनका कि एक साइट जो काम अब तक कर रही थी, वह अचानक बंद हो गई और अब दूसरी साइट पर वैसा ही काम हो रहा है। पहले जो ठगी हुई, अभी उसमें ही लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और अब यह नया मामला सामने है, जिसके आरोपी की पुलिस को तलाश है।

वीरेश त्यागी

E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

